Seventeenth Loksabha

>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Chit Fund (amendment) Bill, 2019 (Bill passed).

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Thank you, Chairman, Sir, to allow me to speak on this Bill. Chit fund is the oldest and native business in India.

15.06 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

But 99 per cent of this business is unregistered or unregulated, as we can say. This Bill, I feel, has just got cosmetic changes. It is a paper tiger or toothless tiger because nothing but just the terms have been changed. In this Bill, foreman has got his security. His commission has been increased from 5 to7 per cent. He can withhold the payment of the group members to a certain extent. You can look into the chit fund scams which have been in the newspaper and they have been very widely reported. Most of the foremen are the companies which conduct the chit funds. They have run away with thousands of crores of people's money. But the common people have not been given any kind of security.

यहां पर कोई भी प्रोविजन पीनल एक्शन के लिए या कोई नोडल आफिसर अप्वाइंट नहीं किया गया । अगर आप ड्राफ्ट बिल को देख लें, तो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है । जो वे पैसे देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कहीं भी कोई जिक्र नहीं है । अगर उनके साथ धोखा होता है, तो वे अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे, उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा, यह कहीं भी मेंशन नहीं है । इस बिल में यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि

एक फोरमैन या जो कंडक्टिंग कंपनी है, वह कितने ग्रुप्स चला सकती है । मेरा मानना है कि इसको हमें रेग्युलेट करना चाहिए । इसकी गिल्टी पर विराम लगाना चाहिए, ताकि कोई बड़ा घपला, कोई मैग्नीट्यूट का फ्रॉड, जैसे हमें पीछे देखने को मिला कि बहुत बड़े-बड़े अमाउंट के फ्रॉड हुए हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके ।

सर, इस सारे बिल में जाएंगे, तो इसमें कहीं भी कोई रेग्युलेटर नहीं है । जैसे छोटे लेवल पर इसे रेग्युलेट करने के लिए, देख-रेख करने के लिए कांट्रीब्यूटर्स की कोई छोटी-छोटी शिकायतें रहती हैं, ईवेन अगर फोरमैन की भी शिकायत हो, तो सब डिवीजनल लेवल पर जैसे एसडीएम रहते हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई हेराफेरी नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से उनको एक तरह का लोकल लेवल तक रेग्युलेटर लगा देना चाहिए । यह 50 रुपये, 100 रुपये से शुरू होकर बड़े शहरों में ज्यादा अमाउंट तक जाता है । सर, यह देखने को मिला है, जैसे मैं अमृतसर से हूं, अमृतसर सोने के व्यापार की एक बहुत बड़ी मंडी है, अमृतसर के गहने काफी फेमस हैं । वहां पर जितनी स्वर्णकार बिरादरी है, वे भी अपना एक चिटफंड चलाते हैं । मगर उसमें कन्ट्रीब्यूशन पैसे से नहीं किया जाता है बल्कि उसमें हर आदमी और हर ग्रुप मेंबर एक सर्टन अमाउंट सोना या चांदी का देता है, वे ड्रा भी सोने या चांदी में निकालते हैं, पैसे में नहीं निकालते हैं । अगर हम इसे एलाउ कर दें कि पैसे के अलावा हम सोने-चांदी में भी कन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं । जो इल्लीगल काम चल रहा है उसे हम एक लीगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रेग्युलेट कर सकते हैं । सभी का पैसा है, चाहे वह सोना-चांदी या रुपये में हो, उसका ख्याल रखा जा सके । माननीय मंत्री अनुराग जी से मेरी दरख्वास्त है ।

हमारे देश में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम प्लास्टिक मनी की तरफ जाएं । मगर इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा कि क्या यह पैसा चेक से देना है या कैश में देना है, ऑनलाइन देना है या क्रेडिट कार्ड से देना है । अगर इसी तरह कैश से चलता गया तो ब्लैक मनी ही यूज होगी । इसे रेग्युलेट करने और इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ परसेंटेज कैश भी एलाऊ कर दें । अगर इसे अच्छी तरह से रेग्युलेट करना है तो उसे चेक से पेमेंट करने का प्रावधान करना

चाहिए । इस पर बहुत हैरानी वाली बात है ये छोटे-छोटे लोग ग्रुप्स में चलते हैं । एक गांव में दस महिला इकट्ठा होकर अपने लिए कर लेंगी, बड़े ऑफिसर्स के वाइफ और स्पाउस के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है । They will organize a kitty party in a big hotel. चिट-चैट करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे देंगे । बैंक को जीएसटी से बाहर किया जा सकता है । चिट फंड पर बारह परसेंट जीएसटी लगाना अन्याय है, इसे बाहर रखना चाहिए । मैं माननीय मंत्री अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है । हमारी टोपोग्राफी, जियोग्राफी और फाइनेन्शियल कन्डीशन और सोशल कन्डीशन काफी में फर्क है । पंजाब में एक कहावत है दस कोस, which is approximately 2.5 kilometres दस कोस पर हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, इनको सेंट्रलाइज्ड करना कोई अच्छी बात नहीं है । आप इसको रेग्युलेट करने की मेक्सिमम पॉवर और लिमिट्स फिक्स करने के लिए स्टेट को ऑथराइज करें । इसी के के साथ मैं अपनी बात रखते हुए आपका फिर से धन्यवाद करता हूं ।

डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 बिल पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 का मैं समर्थन करता हूं । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है । प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था हो, उसी तरह से व्यवसाय सुगम हो, काम करने में आसानी हो, इसके साथ-साथ व्यवसाय भी सिस्टम में आ जाए, यह हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी की सोच है । इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं । पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें गैर कानूनी तरीके से जमा राशि संबंधी योजनाओं के जरिये लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई । इस तरह की योजनाओं का सबसे अधिक शिकार कौन होता है? सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका शिकार बनते हैं । मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, मैं जानता हूं कि गरीब लोगों को कितना दुख हुआ, कितने लोगों का हजारों करोड़ों रुपया चला गया । मैंने आंखों से देखा है कि कितने गरीब आदमियों का पैसा गया, कितने एजेंट्स घर से बाहर हो गए,

महीना भर इधर से उधर घूमते रहे । लोगों की कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी ।

चिट फंड के नाम से बहुत घोटाले सामने आ चुके हैं । यह देश के कई राज्यों में फैला हुआ है जैसे ओडिशा, असम आदि । इस बिल पर काफी चर्चा हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा बातें दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, इस संशोधन में सरकार जो प्रस्ताव लाई है, वह स्वागत योग्य है । इस विधेयक से चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी । इस विधेयक में अधिनियम की धारा-2 के अनुबंध बी में देखिए, परिभाषा कैसे बदल रही है । सरकार की सोच कितनी सुंदर है । परिभाषा में 'बंधुत्व फंड' और 'आवर्ती बचत और क्रेडिट संस्थान' जोड़ा गया है, जो चिट को परिभाषित करता है । इसमें चिट फंड द्वारा लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान करने की व्यवस्था का भी स्वागत है ।

विधेयक में व्यक्ति के लिए निर्धारित कुल चिट राशि की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है । जो कंपनी छ: आदमी की है, उसे छ: लाख रुपये से बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है । इस विधेयक में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें दो ग्राहकों की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या फोरमैन द्वारा विधिवत रिकार्डिंग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य की गई है । यह अधिनियम की धारा 16 की उपधारा-2 के तहत आवश्यक है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो सुझाव देना चाहता हूं । आपने 18 लाख रुपये तो किया ही है, इसके साथ ही डिविडेंड और प्राइस शब्दों को हटाकर शेयर आफ डिस्काउंट किया है । यह बहुत अच्छा है । हम इसका स्वागत करते हैं । लेकिन शेयर आफ डिस्काउंट की एक लिमिट होनी चाहिए । नहीं तो शेयर आफ डिस्काउंट में चिट फंड के ख्वाब दिखा देंगे और फिर लोगों का पैसा जमा करेंगे । इससे कोई बड़ी कंपनी छोटे चिट फंड से पूरा चैनल बना सकती है । इसे रोकने के लिए शेयर आफ डिस्काउंट में लिमिटेशन होनी चाहिए ताकि ग्राहकों तक झूठे ख्वाब न पहुंचें । एक्टिविटी की कोई लिमिटेशन्स होनी चाहिए

। जहां चिट फंड का आफिस हो, उसकी एरिया ऑफ एक्टिविटी 20 किलोमीटर रेडियस की लिमिटेशन्स में होनी चाहिए । ऐसे लिमिटेशन्स होने चाहिए । तब शायद सीआरएफ डिस्काउंट ज्यादा दिखाकर ज्यादा ख्वाब दिखाया, जो पहले हुआ था, वह बंद हो सकता है । सरकार जिस प्रावधान के लिए आई है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत होकर एक साथ मिलकर यह बिल पास कर दे, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा, जैसे ... * जो इसका विरोध करेंगे तो हमें लगेगा कि... * ऐसा नहीं होना चाहिए । सब मिलकर यह बिल पास कर दीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आज चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा हो रही है । निश्चित रूप से इससे पूरा देश पीड़ित है । आजकल अखबार के पन्ने पलटते ही कहीं न कहीं यह समाचार जरूर मिलता है कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पैसे कोई कंपनी हड़पकर भाग गई । गरीब आदमी जो दो सौ रुपये, ढाई सौ रुपये की दिहाड़ी करता है वह चाहता है कि कहीं न कहीं मेरा पैसा ठीक जगह सुरक्षित हो, मेरा पैसा दोगुना हो । इस तरह की कई कंपनियां आती हैं, रजिस्ट्रेशन कराती हैं । बिना रजिस्ट्रेशन के भी यह गोरख धंघा देश और प्रदेश के कोने-कोने के अंदर चल रहा है, जिससे हमारे लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई चिट फंड के नाम से ये उड़ा कर ले जाते हैं । इस मामले में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं । मैं वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी, जो यहां विराजमान हैं, को धन्यवाद दूंगा । मेरा एक सजेशन है कि लाइसेंस को जारी ही नहीं करनी चाहिए । चिट फंड की क्या जरूरत है? हमार यहां पहले से बैंकिंग व्यवस्था एवं अन्य सिस्टम हैं । इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा । क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश को बर्बाद किया है तो धीरे-धीरे कोई न कोई रास्ता निकलेगा । मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पुराने 1982 एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं । आपने इस संशोधन विधेयक द्वारा चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता लाने का आश्वासन दिया है । इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद इस देश की जनता को है ।

पश्चिम बंगाल के अंदर बहुचर्चित शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, जिसमें सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कंटिन्यू कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल: नवजीवन को-ऑपरेटिव सोसाएटी, राजस्थान के अंदर आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाएटी तथा पीएसीएल, जिसने करोड़ों रुपये हड़प लिए । इसी चिंता के कारण केंद्र सरकार यह बिल लेकर लाई है । चिट फंड की जो कंपनियां हैं, उनका राष्ट्रीय डाटाबेस इस बिल के पास होने के बाद बनेगा तब आम आदमी के पैसों की सुरक्षा हो सकेगी और घोटालों पर भी लगाम लगेगी क्योंकि आरोपियों से जब्त राशि पर प्रथम अधिकार जमाकर्ता का होगा ।

सभापति महोदय, एक तो यह बिल यहां आया है । इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट बिल आया तथा प्रधान मंत्री जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाईं , उसको कई राज्य सरकारों ने यह मानकर, कि यह दिल्ली की योजना है, नहीं चलाया । कई राज्यों ने जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको अभी तक लागू नहीं किया है । हमारे राजस्थान में विशेष रूप से लागू नहीं है । यह सही बात है कि पिछले पांच सालों तक जो मोदी जी की सरकार रही, उसमें किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का घोटाले के अंदर नाम नहीं आया । लेकिन, दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार सरकार आई और इनके जो वित्त मंत्री थे, खैर उनका चिट फंड से मतलब नहीं था । उन्होंने फेमा का उल्लंघन किया था, जिसके आरोप में वे जेल काट रहे थे । कल आप लोग हाय-हाय कर रहे थे कि उनको बाहर लाओ । बाहर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा । ये थोड़ी लाएंगे । आप उनकी जमानत की तैयारी करो । लेकिन इस तरह से राजनेताओं के जेल जाने से देश की बदनामी विश्व के नक्शे पर हुई है । एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्री जी भारत को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, जहां पुराने कांग्रेस के समय में जब यहां के प्रधान मंत्री जी अमरीका जाते थे तो वहां के अमरीका के राष्ट्रपति उनसे नहीं मिलते थे और बिना मिले ही वापस लौट आते थे । आज 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के अंदर जब प्रधान मंत्री मोदी जी गये तो अमरीका के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया । हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया । ...

(व्यवधान) आप चिन्ता मत करो । आप इस चीज की चिन्ता करो कि ....* जेल कब जा रहा है । ...(व्यवधान) नहीं जाए, यह ध्यान रखना क्योंकि वह भी जाने वाला ही है ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: This will not go on the record.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, आप केवल बिल पर ही बात कीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं बिल पर ही आ रहा हूं । इसके अंदर एक निवेदन है कि यह बिल यहां से पारित हो जाएगा । इसमें हमारे विपक्ष के साथी भी कहीं न कहीं साथ देंगे क्योंकि इनके अंदर भी कई भले लोग हैं, साथ देंगे, यह इनको भी पता है कि अब जनता जाग चुकी है । अगर सही बात पर साथ नहीं देंगे तो यह संख्या भी अगली बार कम हो जाएगी । इसलिए मदद भी करेंगे । इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि राज्य में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसने सेन्टर में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ एफआईआर लॉज नहीं करेगी । वह बाध्य नहीं है । राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य हों, इस तरह का कानून पार्लियामेंट में पास हो जाए तो राज्य सरकारें मजबूर हों । ये कोई राज्य के हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं । राज्य सरकारों का सिस्टम अलग है । आज आपके पास जो केन्द्र की जांच एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई जांच तब करेगी जब स्टेट के अंदर किसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर लॉज होगी और स्टेट रिकमेंड करेगा । उसके बिना आप नहीं कर सकते । मेरा निवेदन था कि ऐसे मामलों के अंदर इसमें खुलकर आना चाहिए कि किस तरह से पीड़ित आदमी को न्याय मिले । अगर कोई घोटाला करके भाग जाए तो कैसे उसको पकड़ें । वैसे इसमें आपने यह भी किया है कि जिस राज्य की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 और कंपनी के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख की है, यह स्वागत योग्य है ।

निश्चित तौर पर आम आदमी का पैसा नहीं डूबे, इस उद्देश्य से बिल महत्वपूर्ण है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकारों को अलग से पाबंद

करें, चाहे तो मंत्री जी पूरे देश के जो वित्त मंत्री हैं, उनकी अलग से एक बैठक लें । प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्रियों को निर्देशित करें कि जो पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया जिसमें आधे से ज्यादा विपक्ष के लोग भी साथ देते रहेंगे और इसमें साथ दे रहे हैं और इन्होंने कहा भी था कि हम साथ देंगे लेकिन इनका ज्यादा भरोसा नहीं है । ये अंदर साथ देने की बात करते हैं और यहां सारे वैल में आ जाते हैं । मैं दो-तीन दिन से देख रहा हूं कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते हैं । इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है । 2024 की बुकिंग तो इनकी हो गयी है । 2024 से आगे की तैयारी करो । उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा बचा होगा । मेरा मंत्री जी से यही निवेदन था कि जो आम आदमी है या जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, जिसका पैसा ये कंपनियां लूटकर ले जाती हैं और कई जगह तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं । किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था । किसी ने पूरे जीवन की पूंजी घर बनाने के लिए जमा करी थी । ये कंपनी दुगुना, तिगुना कर देंगी, ऐसा आश्वासन देकर पैसा लेकर भाग जाती हैं । इनके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए । आप यह बिल लेकर आए हैं । ऐसा ही बिल और आप लेकर आएं ताकि आम आदमी के पैसे को बचाया जा सके ।

मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि काला धन लाने की शुरुआत की है । अब आप कहेंगे कि काला धन आया तो नहीं है । काला धन आ रहा है । धीरे-धीरे आ रहा है । समय लगेगा । एक दिन में नहीं होगा । 70 साल खड्डे खोदे हैं । उन खड्डों को भरने में अभी समय लगेगा । धारा 370 हटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी । इस कार्यकाल के अंदर दो बड़ी जीत हुई हैं और अब जो बाकी बचा है, ...(व्यवधान) मैं बिल पर ही आ रहा हूं ।

वैसे मैं विपक्ष के अंदर रहा हूं । मुझे बोलने दो । दादा, आप अपनी बात करें । ...(व्यवधान) मैं ऑलराउंडर हूं । मेरा यही निवेदन होगा कि प्रधान मंत्री जी ने जिस सशक्त भारत की बात कही है, भारत को सशक्त किया, तकलीफ इनके मन के जरूर है । छोटे-मोटे कोई नगरपालिकाओं के चुनाव जीत गये होंगे । लेकिन नगरपालिका वाले यहां नहीं बैठेंगे । यहां मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आएंगे और जो पीएम बनेंगे, वे ही राज चलाएंगे । इसलिए आप

ज्यादा खुश न हों ।...(व्यवधान) अब देश उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब सबसे बड़े घराने जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा, उनके ...* कब सलाखों के पीछे होंगे, यह देश देखना चाहता है ।...(व्यवधान) ईडी कार्रवाई कब करेगी? ...(व्यवधान) मैं उस जगह नहीं हूं ।...(व्यवधान) अगर मैं उस जगह होता तो अब तक पकड़ लेता ।...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): राजस्थान में क्या हुआ?...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : वहां क्या हुआ? ...(व्यवधान) जीत गए ।...(व्यवधान) एक हम आ गए और एक रो-धो कर आप आ गए ।...(व्यवधान) बिल के बारे में मेरे से ज्यादा विद्वान लोगों ने बोला है ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Natarajan.

(*Interruptions*) ... *

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Chit Fund (Amendment) Bill, 2019. I appreciate the intention of the Bill to bring more regulatory mechanism to the chit fund sector but am sad to see that the Bill has a lot of loopholes. The main contention is that the Bill does not have a provision for insurance coverage. I remind you the case of Saradha Chit Fund scandal that duped over 1.7 million depositors before it collapsed in April, 2013. Even after this huge scandal, it is unfortunate that efficient regulatory mechanisms are not in place to deal with the ponzy schemes. The following are some of the other issues in this sector.

There are stray cases of employees' fraud in chit fund companies committed on their own or in collusion with subscribers, thereby eroding the trust of the consumers in the sector. The weak regulatory framework makes it relatively easy for errant chit fund companies to get away with

fraudulent activities. At times, the foreman also disappears with the corpus fund, leaving the subscribers with no clue about the future continuance of the fund. Chit fund business profits have been found to be used in money laundering activities. The weak financial literacy is one of the major problems in this sector. I strongly feel that the Chit Fund (Amendment) Bill without the provision for insurance coverage for subscribers is a toothless tiger.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया है । यह चीट फंड जब तक छोटे लेवल पर रहता है, इसके बारे में लोग आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, लोग एक-दूसरे से पैसे इकट्ठे करते हैं, लोग इसे कमेटी भी बोलते हैं, तब तक यह ठीक रहता है, लेकिन जब यह बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है, जब लोगों को बड़े-बड़े लालच दे दिए जाते हैं कि आपके पैसे को दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे और वे एक-दो किश्तें दे भी देते हैं, ताकि लोगों को यकीन हो जाए । फिर वे कहते हैं कि इसमें अपने रिश्तेदारों के पैसे भी लगवाएं, आपके पैसे बहुत अच्छी तरह से वापस आ रहे हैं । दो-तीन किश्तें वापस भी आ जाती हैं, तब चेन रिएक्शन हो जाता है । लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा देते हैं । माननीय वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर जी यहां बैठे हैं । शायद उनके यहां भी उस कंपनी से पीड़ित लोग हों । वह 'पर्ल' कंपनी है । मेरे संसदीय क्षेत्र का एक गांव छाजली है । वह कंपनी उस एक गांव का दो करोड़ रुपये लेकर भाग गई । दस आदमियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा दिए थे । अब सोशल स्टिग्मा है कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटेगी, तो एक गांव के दस आदमियों ने आत्महत्या कर ली । बहुत-से गरीब लोगों का पैसा 'पर्ल' कंपनी लेकर भाग गई । पंजाब, दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है । देश में पांच करोड़ लोग उस कंपनी से प्रभावित हैं । जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तो मैंने सवाल किया था । उन्होंने कहा था कि उस कम्पनी का जो मालिक है, वह गिरफ्तार हो गया है और कानूनी कार्रवाई

कर रहे हैं । लेकिन, लोग पूछ रहे हैं कि उसके गिरफ्तार होने का हमें क्या फायदा हुआ । गिरफ्तारी भी कैसी है, वह बीमारी का बहाना बनाकर फाइव स्टार हॉस्पिटल में है । उसकी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि उसने बैंकों से मिलकर उस पर लोन ले लिया है । उसको कुर्क करके और उसकी जायदाद को बेचकर लोगों के पैसे दें । उसको भले ही छोड़ दें, हमें उससे क्या करना है? उसका जेल के अंदर होना या हॉस्पिटल के अंदर एसी कमरे में बैठकर मजे लेने से तो लोगों के पैसे वापस नहीं आएंगे, लोग कहाँ जाएँ? क्या वे एफ.आई.आर. करवाएँ या क्या करें?

चिट फंड के जो घोटाले हैं, क्राउन कम्पनी भाग गई । अब तो लोगों का विश्वास बैंकों से भी उठ रहा है । यदि वे प्राइवेट में पैसे लगाते हैं, तो चिट फंड वाले भाग जाते हैं । लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है । वित्त राज्य मंत्री जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ । अमेरिका में ऐलन स्टैनफोर्ड नाम का एक आदमी था । उसने वहाँ के लोगों से पैसे ले लिए, यह कहकर कि वह उनके पैसे को डबल-ट्रिपल कर देगा । उसके बाद उसने लोगों के साथ धोखा किया । वह बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रिक चेयर से बचा । वहाँ फाँसी नहीं है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक चेयर है । वह बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन उसे 185 साल की सजा हुई । इसलिए ऐसी कोई मिसाली सजा दें ताकि कोई भविष्य में ऐसे घोटालेबाज लोग, आम लोगों के खून-पसीने के पैसे लेकर न भागें । बैंकों से पैसे लेकर भाग जाते हैं । हमें क्या पता, अब कौन-सा नया नीरव मोदी और विजय माल्या निकल आएगा? हम बैंक में पैसे जमा करवाने से भी डरने लगे हैं । हम किसी प्राइवेट को पैसे देते हैं कि वह ब्याज दे देगा, तो चिट फंड कम्पनी वाला भाग जाता है । आखिर जाएं, तो जाएं कहाँ? डी.सी. नहीं सुनता, पुलिस में जाएंगे, तो गरीब आदमी की थाने में कौन सुनता है? यह अच्छा बिल है । मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई एकाउंटैबिलिटी भी दीजिए । किसके पास जाएँ? कोई कलेक्टर है या एस.डी.एम. लेवल का कोई अधिकारी है, जिसके पास ऐसे आर्थिक अपराध की शिकायत की जा सके? ऐसे तो कोई भी नयी कम्पनी आ जाती है, लोगों का विश्वास फिर टूट जाता है । ऐसे में लोग करें, तो क्या करें?

यह संसद लोकतंत्र का बहुत बड़ा मन्दिर है । यहाँ पर बोली हुई एक-एक बात लोग सुनते हैं और यहाँ से कानून बनते हैं । इतने बड़े-बड़े घोटाले हैं कि लोगों का दिमाग भी घोटालेबाजों ने ऊँचा उठा दिया है । इतने हजार करोड़ रुपये का घपला, 76 हजार करोड़ रुपये का घपला, हमें तो यह भी नहीं पता कि उस रकम को लिखने के लिए कितने ज़ीरो लगते हैं । पाँच-दस करोड़ रुपये के घोटाले तो आम लोग भी नहीं पढ़ते हैं कि छोड़ो यार, कोई छोटा-मोटा चोर होगा । शायद अंग्रेजों ने दो सौ साल में देश को उतना नहीं लूटा होगा, जितना हमारे लोगों ने 70 सालों में लूट लिया । इसलिए कोई ऐसा कानून बने ताकि मिसाली सजा मिल सके और चिट फंड वाले लोगों के साथ धोखा न कर पाएँ । लोगों के पैसे न लेकर भाग सकें । मैं एक बार फिर से वित्त राज्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि पर्ल कम्पनी में लोगों के जितने पैसे लगे हैं, उस कम्पनी की जायदाद को बेचकर लोगों के पैसे दिए जाएं । इस कम्पनी की जायदाद ऑस्ट्रेलिया तक है, जो बेनामी है, किसी के दामाद के नाम पर है, किसी के भतीजे के नाम पर है । इसलिए इंटरनेशनल कानूनों के जरिए उन जायदादों का भी पता करके यहाँ के लोगों के पैसे ब्याज सहित वापस दिए जाएं । इस बिल में थोड़ा विस्तार से एकाउंटैबिलिटी तय करें, तो और भी अच्छा होगा । मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसमें आम लोगों के पैसे लगे हुए हैं । यदि उनको निकालने की आपकी इच्छाशक्ति है, वह सच्ची है, तो अच्छी है ।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपने दल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ऐसे विशेष विषय पर बोलने का मौका दिया । यह विधेयक 2019 में आया है, यह विधेयक पहले भी था, यह वर्ष 1982 में पहले आया, उसके बाद इसमें बदलाव किया गया । चिट फंड में ज्यादा-से-ज्यादा गरीब लोगों के साथ ही धोखाधड़ी हुई है । मैं जिस स्टेट से आती हूं, वह त्रिपुरा है । त्रिपुरा का नाम यहां के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है । …(व्यवधान) हम लोगों ने चिट फंड के दर्द को झेला है । हमारी जनसंख्या 37 लाख है, जिसमें से 16 लाख लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं । हमारा इस साल का बजट 16 हजार करोड़ रुपये का था । वर्ष 2006, 2007,

2010, 2011 में हमारे स्टेट से 10 हजार करोड़ रुपये लूटा गया है, आप इस पर चिंता कीजिए । जो चाय बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला गरीब 200 रुपये कमाता है, ऐसे लोगों को बहुत लूटा गया है । जो गरीब लोग जॉब करते हैं, वे जॉब से रिटायरमेंट के बाद मिले पेंशन के पैसे के बारे में इनसे बहुत अच्छा-अच्छा बोला जाता है कि यह पैसा दो साल में डबल होगा, पांच साल में तिगुना होगा । यह बोल-बोलकर इन लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये लूटे गए हैं ।

सभापति महोदय, उस टाइम हमारी जो सरकार थी, वर्ष 2018 में मोदी जी के कारण सरकार बदली है । उस टाइम हमारे स्टेट के जो मुख्य मंत्री थे, उन्हें मुख्य मंत्री के रूप में पूरी दुनिया जानती है कि वह बहुत गरीब मुख्य मंत्री हैं, जो पैदल सचिवालय जाते हैं । ऐसे मुख्य मंत्री ने उस रोज़ वैली पार्क का उद्घाटन किया । उस पार्क में खड़े होकर ... * ने कहा कि आप रोज़ वैली में पैसा रखिए, आपका वह पैसा सेफ रहेगा । लेकिन जब हमारे स्टेट के लोग लुट गए तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चला । वहां के ... * *वे खुद एक एजेंट थे* / मेरे स्टेट में ... * के जितने लोग थे, वे सब लोग एजेंट थे । ऐसा कोई घर नहीं है, जिस घर में रोज़ वैली चिट फंड स्कैम में पैसा लूटा नहीं गया ।

महोदय ,यह बहुत अच्छा विधेयक लाया गया है । मैं आशा करती हूं कि इससे मेरे स्टेट के लोगों को जस्टिस मिलेगा और आगे चलकर चिट फंड के नाम से लोगों का दिल नहीं कांपेगा । जितनी चिट फंड कंपनियां हैं, चाहे वह रोज़ वैली हो, आई-कोर हो, सपोर्ट इंडिया हो, रामेल हो, वारिस हो, जितनी भी कंपनियां हैं, ये 102 कंपनीज़ त्रिपुरा में गई थीं । इन सबके तार वैस्ट बंगाल में हैं । ...(व्यवधान) वैस्ट बंगाल में अभी जो पहली फिल्म सिटी बनी है, वह अगरतला से पैसा लेकर बनी है । इसके बाद वैस्ट बंगाल के लोगों को लूटा है । ...(व्यवधान) इन लोगों को लास्ट में लूटा है । ...(व्यवधान) अब वैस्ट बंगाल को इसके बारे में पता है । ...(व्यवधान) बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है । अब कम से कम दस हजार लड़के-लड़कियां त्रिपुरा में नहीं हैं, वे रोज़ वैली के एजेंट हुआ करते थे । ...* ने हम लोगों को ऐसी सरकार दी थी । अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है । वे अभी यहां से चले गए हैं । हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट से जो 10

हज़ार करोड़ रुपये लूटे गए हैं, उस पर सीबीआई जांच तो चल रही है लेकिन अच्छा होगा कि हमारे लोगों को उनका पैसा मिले । हमारा बजट 16 हजार करोड़ रुपये का है, 10 हजार करोड़ रुपये लोगों से लूटा गया है । इनमें चाय वाले हैं, सब्जी वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं ।

सभापति महोदय, मोदी जी की जन-धन योजना से पहले हमारा बैंक अकाउंट नहीं था । मोदी जी ने जब जन-धन योजना में बैंक अकाउंट चालू किए थे तो उसमें लोग खाता न खोलें, इसकी पूरी व्यवस्था उन लोगों ने कर के रखी थी । इससे इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं । हम चाहते हैं कि इस संशोधन विधेयक से अच्छे काम हों और चिट फंड के नाम से जो बदनामी हुई है, उससे उबरकर जिन लोगों ने अपने खून-पसीने से पैसा कमाया है, उनके लिए अच्छा काम हो । उन लोगों ने अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए जो पैसा रखा था, वह पैसा लुट गया था ।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं । चिट फंड घोटाले में सिर्फ गरीब का पैसा ही नहीं गया, उन लोगों ने आत्महत्या भी की है । मेरा व्यक्तिगत मत है कि चिट फंड घोटाला करने वाले लोग और जिन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया है, उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला हो और उनसे पैसा वापस लेकर इन लोगों के बीच में बांटा जाए । इनकी जितनी भी संपत्ति है, उसको भी सीज़ कर के उसका पैसा भी इन लोगों में बांटा जाए, यह व्यवस्था भी आप इस बिल में रखें ।

सभापति महोदय, मैं अंत में केवल यह कहना चाहती हूं कि पूरा सदन इस चिट फंड बिल का समर्थन करे और हम दुनिया को यह मैसेज दें कि घोटालेबाजों के लिए हमारे भारत में कोई जगह नहीं है । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक-2019 पर चर्चा में बोलने का मौका दिया । सबसे पहले

माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जो चिट फंड कानून लाए हैं, वह गरीबों के हित के लिए है । हर प्रदेश में हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं । मैं बिहार से आता हूं और मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा है । वहां भी कई लोग हमको बता रहे हैं कि अगरतला, बंगाल, राजस्थान में जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, हर जगह लोग चिट फंड से परेशान हैं । चाहे कंपनी का नाम शारदा हो, चाहे रोजवैली हो या पर्ल हो, कई तरह के बोर्ड लगाकर लोग गरीबों का पैसा लेते हैं और कहते हैं कि ढाई साल में, तीन साल में दुगुना हो जाएगा । इस तरह का काम करने वाले लोगों के लिए ऐसा कानून आप जरूर लाएं कि दोबारा कोई ऐसा गलत काम न करे कि वह एक बोर्ड लगा दे और उसका गलत काम चलना शुरू हो जाए । यह एक सोची-समझी प्लानिंग है, जिसमें जो अच्छे लोग हैं, उसमें से चार आदमी, पढ़े-लिखे रिटायर लोगों को लाते हैं और एक ग्रुप बनाकर हर प्रदेश में एक बोर्ड लगाकर ठगी का काम चला रहे हैं । व्यापारियों को कहा जाता है कि मैं तुमको एक लाख रुपया देता हूं और कल तुम मुझको सवा लाख रुपया लौटाओ । इस तरह से काफी लोगों को पैसा देकर यह काम किया जाता है । पी.ए.सी.एल. का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कि उस कंपनी द्वारा लगभग हजारों लोगों का और हमारे संसदीय क्षेत्र के भी कई लोगों ने बताया है कि उनकी मेहनत का काफी पैसा गलत तरीके से निकाल लिया गया है । ये सब छोटे लोग हैं । कोई रेहड़ी का काम करता है, कोई ठेला चलाने का काम करता है, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, चाय वाले हैं । अत: इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं । मेरा एक सुझाव भी होगा कि चिट फंड वित्तीय लेनदेन से जुड़ा जो नियमन है, इसमें लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए । किसी भी सूरत में आम जनता का पैसा न डूबे । सभी लोग, जिनका पैसा डूब गया है, उनके लिए सरकार प्रयास करे कि इनका पैसा कैसे निकले । इनकी जो सम्पत्ति है, उसे बेचकर उन लोगों का पैसा निकलवाने का सरकार प्रयास करे । यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): बहुत कम शब्दों में मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की ओर से श्री बन्दोपाध्याय जीने इससे पहले बोला है । मैं सरकार

की एक-दो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह चिट फंड अमेंडमेंट बिल पिछली लोक सभा में रखा गया था । उसके बाद वह स्टैंडिंग कमेटी में आया । मैं भी उस समय मेंबर था । हम लोगों ने अगस्त, 2018 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और आज नवम्बर, 2019 चल रहा है । स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद पुन: इस बिल को लाने में एक साल तीन महीने लग गए । अब इस बिल की डेट देखिए – "निर्मला सीतारमण, 31 जुलाई, 2019" एक बिल लाने में इतने दिन क्यों लगे? यह जो देर होती है, इसी से कानून की एफिकेसी कम हो जाती है । मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये विगत दो दिन से आ रहे हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी दो दिन नहीं आई थीं । मैं चाहूंगा कि यह नौजवान मंत्री जी यह सब चीजें देखें ताकि यह समय पर हो । दूसरी बात यह है कि चिट फंड के बारे में लोगों की धारणा साफ नहीं है । त्रिपुरा से हमारी बहन बोलीं और जो अन्य लोग बोले, वे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बोल रहे थे । यह चिट फंड बहुत छोटी चीज है । कुछ लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं, वही लोग आपस में बांट लेते हैं । पब्लिक से पैसा उठाने का कोई सवाल नहीं है । इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, जो लाया गया है । अब चिट फंड को फ्रैटर्निटी फंड कहा जाएगा । फोरमैन का कम्पेन्सेशन बढ़ाया जाएगा और इस चिट फंड अमेंडमेंट बिल में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । एक बात और कही गई थी कि दो मैम्बर रहेंगे और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे भाग ले सकते हैं । मैं इसके खिलाफ हूं और मैं समझता हूं कि सभी लोगों को प्रेज़ेंट होना चाहिए । लेकिन तब भी यह चिट फण्ड अमेंडमेंट बिल में खास आपत्ति के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को फॉलो किया है और इस बिल में उसी को इनक्लूड किया गया है ।

यहां भाषण देते हुए सभी लोगों ने शारदा, रोज़ वैली, पंजाब की पर्ल और ओडिशा की सी-शोर के बारे में कहा है । यह जो हजारों-करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक, हमारा बैंकिंग सिस्टम का फैल्योर है । हम लोगों तक नहीं पहुंच सके और कलेक्टिव स्कीम्स के लोगों ने पर्सनल इंफल्यूएंस से लोगों से पैसा उठा लिया । अगर सब जगह बैंकिंग सिस्टम पहुंच गया होता तो लोग इसकी तरफ नहीं जाते । यह चिट फण्ड नाम

मिसलीडिंग है । यह सीएचईएटी चीट नहीं है, यह सीएचआईटी चिट है, मतलब कागज का छोटा-सा टुकड़ा । सब लोग इसी पर भाषण देते गए कि शारदा हुआ, नारदा हुआ, लेकिन इस बिल का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि एक तो बैंकिंग सिस्टम का फैल्योर और दूसरा, कलेक्टिव स्कीम्स के बनने में हमारे रेगुलेटर्स का फेल्योर है । हमारे देश में रेगुलेटर्स हैं । रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है । सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है । हमारे कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमेंट में एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस भी एक रेगुलेटर हो सकता है । इन लोगों ने कोई काम नहीं किया और हजारों- करोड़ों रुपये इसमें डूब गए ।

बीजेपी के पश्चिम बंगाल से दो माननीय सदस्य श्रीमती लॉकेट चटर्जी और श्री दिलीप घोष, इस पर भाषण करते रहे और बिल पर कुछ नहीं बोले । पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री के खिलाफ कुछ इल्जाम इन्होंने लगाया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं । मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उसको देखें और जहां भी पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री का नाम है, उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए । ये सदस्य जो बोले हैं, ये नासमझ हैं । चिट फण्ड का मतलब ही नहीं समझे और इस पर बोल दिया, जो उचित नहीं है । हम लोग चाहते हैं कि चिट फण्ड में जो भी दोषी है उसको शास्ति हो । आपके हाथ में सीबीआई है तो सीबीआई इतने दिन तक …(व्यवधान) मैं नासमझ मैम्बर को बोल रहा हूं और यह कोई गाली तो नहीं है । आप बोलिए सर, आप डिक्शनरी देखिए …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Kindly address the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will consider it but please address the Chair now.

… (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : नासमझ कहना खराब बात नहीं है, असम्मानजनक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : सर, इसलिए यह सब बातें यहां कहना ठीक नहीं है । हमारे देश के फाइनैंशियल सिस्टम में जो गलतियां हैं, उन गलतियों को हमें सुधारना है । सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और अनरेगुलेटेड डिपोज़िट पर अभी पाबंदी लगाई गई है । और भी कड़े कदम उठाने हैं, ताकि देश में कहीं भी गरीब आदमी का पैसा चौपट न हो । अगर कोई केस है तो उस पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए, सीबीआई चार्जशीट दे और शास्ति हो और जो होना है, वह होगा । लेकिन हाउस में इल्जाम लगाना कि त्रिणमूल के लोग इससे जुड़े हुए हैं, यह गलत बात है, यह नहीं होना चाहिए । इससे हाउस की मर्यादा की हानि होती है । मैं आशा करता हूं कि रूलिंग पार्टी के लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे । आपके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है । अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसको शास्ति देने की जिम्मेदारी है । आप समझिए यह जिम्मेदारी आपको ठीक से निभानी चाहिए । झगड़ा कर के नहीं, खाली हाऊस में गलत इल्ज़ाम लगा कर वह यह नहीं होगा । इसके साथ मैंने कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, लेकिन ब्रॉडली इन प्रिंसिपल जो चिट-फंड्स अमेंडमेंट स्कीम आप लाए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिर्पोट के अनुसार है, उसका मैं समर्थन करता हूँ ।

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Respected Chairperson Sir, I rise to stand here before you to support the Bill. I have gone through some of the provisions of the Bill. It has already gone through the Standing Committee which has made a couple of very good suggestions. The hon. Member who spoke before me did say something about the

Serious Fraud Investigation Office. About 185 such cases have been brought forward to the SFIO in 2017. Now, we have had over 30000 registered Chit Fund Companies in India, and if we talk about the unregistered Chit Funds, the figure is approximately 100 times more. So, when you have such a large number in such an informal sector, I am happy to see that the Government is trying its best to regulate this. Chit Funds, Committees, Kitties are the various names given to it, and there has always been a sense of doubt regarding all these funds.

I have had one incident in my own constituency of Jhansi, where a family of four, the Udania Family, was unfortunately burnt alive just before Diwali. It is because most of these people tend to collect the money and reimburse or disburse it back around Diwali. Unfortunately, there was over a crore rupees lying in the house and someone took it. So, we have seen what happens when there is so much of unaccounted wealth or wealth which is being supressed and not brought into the system. Such heinous crimes do take place. This constantly seems to be a trend which is mainly because people think that Chit Funds are very necessary. It is not the failure of the banking system, as mentioned by an hon. Member earlier. Chit Funds are for a limited period of time and for a specific purpose. Once that purpose is solved, they are able to lend quicker, they are able to collect the money quicker and people are able to get some kind of return from it. So, I am very happy to see that the Government has brought in certain changes, and provisions like increasing the limit to Rs. 3 lakh for an individual or to Rs. 18 lakh for a firm will definitely help the people.

Regarding technology, the only thing I wanted to know is that if the recording is done through video conferencing, then would that data

need to be stored somewhere so that, that can be reverified by all the investors?

It is an excellent thing to increase the ceiling from five per cent to seven per cent, calling it a ROSCA. But we need to bring in as many people into the formal sector. Since both the Finance Ministers are sitting here, my question would be, could a certain size of funds and their communication be monitored like what they are really communicating and from where they are collecting the money? Could they be asked to submit it? Many times, what happens is like this. When they start promising high returns like 3 per cent, 5 per cent or 10 per cent a month, then it lures the ordinary common person to invest in such schemes. So, that could be monitored or they could be forced to submit it to the local offices, may be, the District Administration or whoever monitors it from the ROSCA. If that communication could be monitored, it will prevent them from making tall claims which cannot be fulfilled. When tall claims are made and extra money is collected, people tend to run away. I would again like to congratulate the Government for bringing in this Bill and using technology for the purpose of monitoring, and hence, I would like to extend my support to the Government on this Bill.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज में दिक्कतें क्या थीं? सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी, जिसको हम पौंजी स्कीम कहते हैं या चिट फंड स्कीम कहते हैं, ये स्कीम्स देश भर में चल रही थीं । चिट मतलब कागज की स्लिप, जो पर्ची या कमेटी के माध्यम से निकाली जाती थी । उसके कारण बहुत सारे लोगों को ठगा गया । उसका नाम ही चिट फंड कर दिया गया । चिट फंड को अगर देखा जाए तो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए रहती थी

कि एक बहुत बड़ी आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में जिन लोगों को शामिल किया जाना था, वे शामिल नहीं हुए । यही कारण है कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 32 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, यानी 32 करोड़ परिवार के खाते मात्र 4 महीने में खोले गए । आज़ादी के 70 साल बाद तक इस देश में मात्र 12 करोड़ खाते थे, यानी 12 करोड़ का भी आप अंदाजा लगाएं तो कई ऐसे परिवार होंगे, जिनके एक ही परिवार में चार-चार, पांच-पांच, आठ-आठ, दस-दस खाते रहे होंगे तो आठ से दस करोड़ मात्र परिवारों के खाते थे । बाकी सब लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे । वे लोग अपना व्यवसाय कैसे करते थे, बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, कैसे मार्किट से पैसा उठाते थे, कैसे उनको जरूरत पड़ती थी । आपस में सहयोग से, मिल-जुलकर चिट फंड के माध्यम से कुछ रोटी-रोजगार के प्रबंध के लिए सॉफ्ट लोन उठाना, सॉफ्ट लोन बनाना, ये सब किया करते थे । इसी कारण चिट फंड का प्रचलन इस देश में बढ़ा । लेकिन अनरेग्युलेटेड होने की वजह से लगातार यहां पर दिक्कतें बढ़ती गईं और लोगों के साथ धोखाधड़ी होती गई । वर्ष 1982 में कुछ कानूनी प्रावधान बना कर इस सब चीजों को, गलत चीजों को रोकने का एक प्रयास किया गया, लेकिन वह एक असफल प्रयास था ।

मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में थे तब संचायिका की स्कीम शुरू हुई और हम सब ने अपने स्कूल्स में भी एक छोटी गुल्लक के माध्यम से जो भी थोड़े पैसे मिलते थे, वह जोड़ कर एक खाता बना कर स्कूल में हमें बैंकिंग सिखाने की दृष्टि से संचायिका में हम सब ने पैसा जमा किया । वह सब पैसा भी उड़ गया । संचायिका के बाद 70 के दशक के बाद तमाम ऐसे शारदा-नारदा नामों से प्रचलित ये स्कीम्स हुईं, जो कि असलियत में चिट फंड तो नहीं थीं, फेमस चिट फंड के नाम से हुईं, जहां पर 200 कम्पनियों के कंर्सोटियम ने मतलब 17 लाख लोगों को धोखा दिया और 5-6 बिलियन रुपया इस देश का चुराया गया । गरीब से गरीब आदमी जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, फार्मर बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका पैसा चोरी हो गया, उसका पैसा निकल गया । तमाम बड़े-बड़े नाम मतलब एक राज्य के डीजीपीए, एक राज्य के स्पोर्ट मिनिस्टर ऐसे तमाम लोग ऐसी स्कीम्स के अंदर पकड़े गए और उनको

सज़ा भी हुई । इस चिट फंड अमेंडमेंट एक्ट से पूर्व सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज में चिट फंड आदि धोखे वाली, साज़िश वाली स्कीम्स को शामिल किया । उस कानूनी बदलाव में भी पिछले सत्र में उस पर काम किया गया तो मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सीरियसनैस ऑफ परपज जो है, वह दिखाई देता है । देश में जो यह सिस्टम चल रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है । इस सिस्टम को जब ठीक करने की जरूरत है तो उन्हीं स्कीम्स में से एक यह स्कीम भी लागू की गई, जिसके माध्यम से इसको ठीक किया गया । फ्रॉड्यूलैंट स्कीम्स मतलब कमी क्या है, पहले मैं दो-चार लाइनों में इस बात को बताना चाहूँगी ।

सबसे पहले तो एक फ्रॉड्यूलैंट स्कीम है कि लोगों से झूठे वायदे किए जाते हैं । 200 पेड़, 5000 पेड़, इतने पैसे, उतने पैसे, ये जमीन, वह जमीन हर तरीके के झूठे वायदे करके लोगों को ठगा जाता है । उस ठगी के आधार पर लोगों का पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो वह लोगों से चुराया लिया जाता है । जब एक पर्टिक्युलर सोसायटी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हटाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल एक्सेस न मिले और वह पौंजी स्कीम का हिस्सा न बन जाए । इसके लिए जरूरत है कि ग्रास रूट के ऊपर मतलब जमीनी स्तर पर राज्यों को अधिकृत करने की आवश्यकता थी । राज्यों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी ताकि राज्य ऐसी तमाम स्कीम्स को कंट्रोल कर सकें और सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार हो । यह दिक्कत थी, इसलिए यह कानून में बदलाव लाया गया । इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत फाइनेन्शियल लिटरेसी की है । पहले तो लिटरेसी थी, अब लिटरेसी की ताकत बढ़ाई गई है, पढ़ने-लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फाइनेन्शियल लिटरेसी आज भी देश में कम है । लोगों को अर्थव्यवस्था से जुड़ने के माध्यम और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है । यही कारण है कि वे पोंजी स्कीम्स और अन्य ऐसी स्कीम्स का हिस्सा बनते हैं । बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कई बार पाया गया कि बैंक्स गरीब आदमी के लिए अवलेबल नहीं थे । हमने यह बदलाव पिछले 5 साल में देखा । सरकार बैंकिंग ऑफिसर्स के रवैये में बदलाव लेकर आयी । अभी चाहे वह अटल पेंशन योजना है, चाहे अन्य दुर्घटना से संबंधित योजनाएं हैं । उन सब योजनाओं को लेकर,

छोटी-छोटी योजनाओं को लेकर, खाते खुलवाने से लेकर आज बैंक वाला उस गरीब के घर जाकर यह काम करके आता है । वह उस क्षेत्र के अंदर कैम्प लगाता है, जिसे पहले बैंक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था । इसी माध्यम से फाइनेन्शियल लिटरेसी की आवश्यकता है । कहीं न कहीं सरकार उस पर काम करने का प्रयास कर रही है । फाइनेन्शियल लिटरेसी के अभाव में लोग ऐसी स्कीम्स में फंसते हैं । एक जो अल्टरनेटिव ओपिनियन है, वह है कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो हैं, वे स्कैमस्टर्स को एब्यूज करते हैं और क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि पैसा दोगुना कैसे हो, रातों-रात पैसा बढ़ जाए, इसलिए वे इनके झांसे में आ जाते हैं । कहीं न कहीं लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 8 से 9 परसेंट है, तो आप 50 परसेंट, 100 परसेंट पैसा नहीं कमा सकते । जब इतना पैसा नहीं कमा सकते तो जो भी स्कीम आपको इस तरीके का लालच दे रही है, वह गलत स्कीम है ।

शारदा और इस तरह के अन्य फाइनेन्शियल घोटाले-घपले हुए हैं और तकरीबन 200 प्राइवेट कंपनीज ऐसी स्कीम्स में शामिल रहीं । वर्ष 2013 में वह मामला सामने आया, जिसका सबने असर भी देखा । मैं कुछ प्रोमिनेन्ट पर्सनालिटीज का नाम जरूर लेना चाहती हूँ । दुख: की बात है हमारे संसद में सदस्य थे कुणाल घोष, श्रृंजॉय बोस, जो कि डीजी थे, रजत मजूमदार और देबव्रत सरकार, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे । ये जो स्कैम्स हैं, वे इसी सर्किलेशन की वजह से सामने आए हैं । प्राइस चिट मनी और मनी सर्किलेशन बिल जो है, उसमें अंतर स्थापति करने की जरूरत थी, जिसको पूर्व में इसी सरकार ने बैन किया । वह बैन करने के बाद जो सही चिट्स हैं, किस तरीके से उसको रेग्युलेट किया जाए, उसके लिए यह प्रावधान लाया गया । मैं स्थायी समिति की 35वीं रिपोर्ट, 2015-16 की रिपोर्ट का एक पैरा पढ़कर बताना चाहती हूँ ।

In their Action Taken Reply, the Ministry of Corporate Affairs has submitted as follows:

"The Government has undertaken a massive exercise of financial inclusion through the Pradhan Mantri Jan Dhan

Yojana wherein about 21 crore bank accounts have been opened with a view to provide regulated financial services. Further, through the three Jan Suraksha Schemes namely Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana, over 12.53 crore citizens have been covered under the social security schemes of life or accidental insurance and old-age pension."

मैं यही बताना चाहती हूँ कि यही प्रमुख कारण थे, जिसकी वजह से पोंजी स्कीम्स चलती थीं । सरकार इन सब पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है । मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को जब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो राज्य सरकारें भी फाइनेन्शियल इंक्लूजन और फाइनेन्शियल लिटरेसी के लिए आगे आकर काम करें ताकि उनके क्षेत्र के अंदर इस तरह की स्कीम्स का कारोबार न चल पाये । इसमें एक शब्द, जो अभी अमेंडमेंट है, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ । इसमें एक शब्द फ्रटर्निटी फंड जोड़ा गया है । फ्रटर्निटी फंड को जोड़ने के पीछे जो कारण है, वह कारण यह है कि जिस तरीके से ऐच्छिक फंड, क्योंकि चिट्स एंड मनी सर्किलेशन प्राइज मनी वाला जो है, उसे बैन किया गया है । इसलिए फ्रटर्निटी फंड का नाम देकर जो रेग्युलेटिड स्कीम्स हैं, गरीब तबके के लोगों के फायदे के लिए लोग खुद इकट्ठा होकर चलाते हैं, उन स्कीम्स को प्राइज मनी वाले से कम्पेयर न किया जा सके, इसलिए फ्रटर्निटी फंड का नया नाम दिया गया है ।

दो व्यक्तियों को फोरमैन के रूप में उपलब्ध कराना और अगर किसी कारण से, क्योंकि कई बार इंटीरियर्स में ये स्कीम्स चल रही होती हैं, गांव-देहात में चल रही होती हैं और लोग उससे दूर बैठे होते हैं तो फोरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यह अधिकार दिया । मुझे खुशी है कि 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से कई सारी पंचायतों को जोड़ा गया है । अगर गांव के लेवल पर कोई पंचायत ऐसी स्कीम रेगुलेटेड तरीके से चलाना चाहता है तो वह चला पाए । साथ ही, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रांसपैरेंसी मेनटेन करते हुए वहां पर

उपलब्ध रह सके और सरकारी तौर पर उसकी कानूनी व्यवस्था थोड़ी ठीक हो सके ।

तीसरी बात है कि फिजिब्लिटी रिपोर्ट को देखते हुए ग्राउण्ड लेवल के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्ध कराने का मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जब हम फाइनैंशियल इन्क्लूजन कर रहे हैं, टेलिफोन्स के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, भीम एप्प के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें अधिक से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट का प्रावधान भी करने की आवश्यकता है, जो कि सीधे तौर पर फाइनैंशियल इन्कलूजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है । फोरमैन को एक कमीशन के रूप में काम करने के लिए 5 प्रतिशत मिलता था । अभी उस 5 प्रतिशत को बढ़ा कर 7 प्रतिशत किया गया है क्योंकि जो गलत माध्यम से पैसा लिया जाता था, उसे रेगुलेटेड तरीके से बढ़ा कर उन्हें अगर आप पैसे दे दें तो फिर चोरी-चकारी कम होगी ।

The Report of the Standing Committee on Finance of 2017-18, in Page 62 says,

> "It also seeks to allow the foreman to have a right to lien for the dues from subscribers so that set-off is allowed by the chit fund company for the subscribers who have already drawn funds so as to discourage default by them."

जो लोग चिट पहले उठा लेते हैं, उसके बाद धोखा देने के लिए वही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वे पैसे लेकर भागने का प्रावधान रखते हैं । इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उनके ऊपर जो लियन है, उसे फोरमैन रख सकें ताकि अगर वह धोखा दें तो उसे जब्त करके बेहतर कार्रवाई हो सके । इसलिए फोरमैन को यह अधिकार दिया गया है, जो कि एक बहुत बेहतर काम है । चिट फण्ड एक्ट का जो सेक्शन-85 बी है, उसे अमेंडमेंट में हटाया गया है । इसका कारण है कि पहले सिर्फ 100 रुपये की सीलिंग थी । 1982 में 100 रुपये की सीलिंग थी और आज 100 रुपये की सीलिंग के कोई मायने नहीं है । इसलिए

इसे हटाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं ।

एक एडिशनल वर्ड 'रोटेटिंग सेविंग एण्ड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन' डाला गया है । जो गलिबल लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जिन्हें आर्थिक नीतियों की ज्यादा जानकारी नहीं हैं, वे इसमें न फँसे और उन्हें बचाने के लिए कंपनीज को इन्क्लूड करके यह प्रावधान किया गया है । चिट फण्ड्स कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा गैप, जो कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भरा नहीं गया, पूरा नहीं किया गया, वही कारण बना । लोगों को सॉफ्ट लोन्स लेने और पैसे बचाकर सेविंग रखने का वही एकमात्र तरीका था । जैसे-जैसे फॉर्मल व्यवस्था बेहतर होती जाएगी, जैसे-जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ग्रासरूट्स तक पहुंचेंगे, जैसे-जैसे उनकी उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे-वैसे चिट फण्ड्स जैसी स्कीम्स अधिक जानकारी के माध्यम से लोगों के बीच से खत्म भी होगी, समाप्त भी होगी ।

मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वे एक अच्छा बिल लेकर आए हैं और व्यवस्थात्मक रूप से इसे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है । हम सरकार के साथ हैं । सरकार उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करे । बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद ।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

सभापति जी, पिछले दो दिनों से चिट फण्ड के ऊपर चर्चा चल रही है और निश्चित रूप से चिट फण्ड एक्ट में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि जिस आशा और विश्वास के साथ यह संशोधन लाया गया है, भले ही यह संशोधन स्टैण्डिंग कमेटी के माध्यम से 38 सालों के बाद लाया गया है, इसलिए इसमें माननीय सदस्यों द्वारा इसका ज्यादा विरोध करने का कोई विषय नहीं बनता । मैं तो सत्ता पक्ष का सदस्य हूं । मैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत करूंगा ।

16.14 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर चिट फण्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद, जैसा कि अभी मैडम लेखी जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम सबके पास, उस जमाने में गांव के परिवारों के पास न सड़कें होती थीं, न संचार के साधन होते थे, न इतनी बैंकिंग थी, और जो उस समय छोटी-छोटी बचत करते थे, उन्हें कहीं न कहीं एकमुश्त रकम इकट्ठा मिल सके । इस दृष्टि से एक छोटा-सा चिट निकाल कर उसके माध्यम से एक व्यक्ति को अधिकतम रकम दी जाती थी, जिसे सारे लोग मिलकर इकट्ठा करते थे । इस तरह से इसका नाम चिट फंड दिया गया । अब चिट का मतलब चिट्ठी हुआ और यह चिट्ठी से निकल कर बना । जब इसका नाम धीरे-धीरे लोगों में फैला और इसको चलाने वाले लोगों में बुद्धि आई, तो चिट के माध्यम से उन्होंने चिटिंग का काम प्रारंभ कर दिया । बाद में यह चिट फंड न होकर चीट फंड हो गया और वे लोग इसके माध्यम से लूटने का काम करने लगे । यदि हम इसके बारे में देखेंगे, तो पाएंगे कि आम जनता को जो लूटने वाले थे, वे ज्यादा पढ़े-लिखे थे और जो आम जनता थी, वे गांव के गरीब, छोटे मजदूर और किसान थे, जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसमें जमा किया था ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 'यथा नाम तथा गुण', जैसा नाम होता है, वैसे ही उसका गुण होता है । चिट के नाम से ही लगता है कि सही में यह चिटिंग कंपनी है । हमने इतने वर्षों में ऐसा देखा भी है । 38 वर्षों के बाद इसके लिए कानून आ रहा है । इसके लिए मैं हमारे आदरणीय मोदी जी, वित्त मंत्री जी, आदरणीय अनुराग जी और स्टैंडिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करने का काम किया है । अब कम से कम इसका नाम चिट फंड समाप्त हो गया है । अब इसका नाम 'बंधुता फंड' हो गया है । बंधुता का मतलब हमारा आपस का संबंध होता है । जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से सारे लोगों का जो पैसा जमा होगा, वह बंधुता तथा एकता के साथ जमा होगा और इस फंड का उपयोग आवर्ती बचत के रूप में होगा । इसका नाम बदलने का जो काम किया गया है, वह निश्चित रूप से सही है, क्योंकि लोगों को चिट शब्द से ही

शंका होती थी । पिछले समय में क्या हुआ, हमारे यहां एक कहावत है कि बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुधि लें । इससे पहले कितने लोगों ने बेइमानी की, कितनी गड़बड़ी की, उन सबसे हटकर अब नया सिस्टम लाया गया है । अब एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया । इसको चलाने वाले लोगों को हम 5 परसेंट की जगह 7 परसेंट का लाभ देने का काम कर रहे हैं । इसी तरह से अब इसको एक व्यक्ति की जगह समूह चलाएगा । कॉरपोरेट को 18 लाख रुपये तक किया गया । यह फंड इसलिए बढ़ाया गया, क्योंकि कहीं न कहीं अब ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती है । पहले यह राशि कम थी, अब लोगों में थोड़ी आर्थिक समृद्धि आई है । अब इसमें लोग 18 लाख रुपये तक कर सकते हैं । लोग पहले चिट निकालने का काम करते थे, लेकिन आजकल संचार का माध्यम है । यदि कोई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित रहे, तो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वह देख सकता है । निश्चित रूप से ये सारे संशोधन बहुत अच्छे हैं ।

सभापति महोदय, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि सामान्यत: जिन लोगों को राशि की जरुरत पड़ती थी, उन्हें अभी भी पड़ती है । आज तक जो लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके कारण ज्यादा धोखाधड़ी होती थी । रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से जो काम होता था, जितनी उनकी सीलिंग थी, उससे ज्यादा रकम का काम करके लोगों को लूटने का काम करते थे । आज निश्चित रूप से सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया है । इस तरह से जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनके लिए सारे एक्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम उनको गिरफ्तार करते हैं । हम सभी सांसद तथा जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम इन सभी चीजों को देखें । हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे कितनी नॉन रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो इस तरह के चिटिंग का काम करती हैं, फंड रेगुलेट कराती हैं और बैंकिंग का काम करती हैं । जिस तरह से आपने कहा कि संचायिका चलती थी, मुझे भी अच्छी तरह से ध्यान है कि बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां आईं । इन बैंकिंग कंपनियों ने हमारे मोहल्ले के लोगों को काम

पर लगाया, जो थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे थे, उन्होंने कुछ नामी-गिरामी लोगों को भी काम पर लगाया ।

सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए भी दुख होता है कि उस समय मेरे जैसे व्यक्ति को भी कहा गया । उस समय मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था और बाद में एमएलए भी बना । हमारे जैसे लोगों के पास भी इस प्रकार की कंपनियों के लोग आए और कहा कि हम आपको सहारा इंडिया का प्रमुख बना देंगे, संचायिका का प्रमुख बना देंगे । तभी से मैं डरता था कि ये लोग सही नहीं हैं । वे जिन लोगों को धन जमा करने के लिए काम पर लगाते है, वे गांव के गरीब तथा छोटे लोग हैं । उनके माध्यम से वे लोग रोज 10-20 रुपये जमा कराते थे और बाद में पैसा इकट्ठा करके भाग जाते थे । मेरे यहां एक महाकौशल कंपनी आई, मकान का काम करने के लिए कंपनियां आईं, बाद में ये सारी कंपनियां भाग गईं । जैसे आदमी कहता है कि दूध का जला छांछ को फूंक कर पीता है । चिट फंड कंपनी के नाम से अन्य बैंकिंग कंपनियों ने भी जिस तरह से लोगों को लूटा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए । आज सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए बैंकिंग के सारे खाते खोलने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ । आज जन धन योजना तथा मुद्रा योजना निकाली गई है । मुद्रा योजना भी इसी में से निकल कर आई कि जिन लोगों के पास धन नहीं है, वे कहीं न कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से 20 या 50 हजार रुपये का लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं ।

महोदय, आदरणीय मोदी जी की सरकार में गांव, गरीब, किसान तथा मजदूर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास हुआ है । जो चिट फंड विधेयक 2019 आया है, मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करता हूं । मैं इसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिनके लिए पांच से सात पर्सेंट का किया गया है, निश्चित रूप से उनके लिए भी सुविधा होगी । जो लोग गलत तरीके से ज्यादा धन कमाने की चिंता करते हैं, वे न कमा सकें । इसलिए जितने भी संशोधन आए हैं, मैं इन सभी का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुन: वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you Madam for allowing me to participate in the discussion on the Chit Funds (Amendment) Bill in this august House. This chit fund system is more useful to the rural poor. These rural poor people and their families use this system to improve their economic development. The chit fund scheme is a good plan for the poor and middle-class people to do the savings. It gives a good return for their savings. But many organisations are indulging in fraud and they cheat people. If the poor people are cheated by these organisations, it should be considered as a criminal offence. Stringent punishment should be given to the culprits. The State Government should also monitor these chit fund cases by appointing some supervisory body.

This is the easiest way for the poor and the middle-class people to save money. So, the Government should encourage these chit fund organisations by giving them incentives and other things. A separate police wing may be set up, especially to monitor and inquire cheating related to finances in the chit fund system. My last point is that exemption from GST should be given to the chit fund organisations because poor and middle-class people use the chit fund scheme. That is why, I am requesting the Government to give GST exemption to the chit fund organisations.

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वूपर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है । यह भ्रष्टाचार पर फिर एक करारी चोट है । कभी-कभी यह विचार आता है कि अगर इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते, तो देश की धारा कहां जा रही होती? एक के बाद एक भ्रष्टाचार, बंगाल तो इससे बुरी तरह से हिल गया ।

हम लोग यहां पर अपनी-अपनी बात कह रहे थे । पोंजी स्कीम्स पर हम लोग काफी बोले हैं, जिन्हें unregulated deposit कहते हैं । अब यह एक्ट बन गया है । पिछली बार माननीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ही बना डाला कि इस किस्म के जितने भी व्यवहार होंगे, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, वे सब के सब अवैध होंगे, वैध होंगे ही नहीं । वे आज तक वैध थे भी नहीं । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछली बार यह कानून आया, बैनिंग Banning of Unregulated Deposit Scheme Bill और यह बिल पास भी हो गया । इसमें कड़ी सजा के प्रोविजंस भी हैं । इसी को एक तरह से पोंजी स्कीम कहते हैं । शारदा, पर्ल और आदर्श को लें, इसकी एक लंबी फेहरिस्त है । जो लोगों की धनराशि को हड़प कर विदेशों में चले गए । अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि इनकी जमीन आस्ट्रेलिया तक फैली हुई है । देश में कोई देखने वाला नहीं था, लोग लूटे जा रहे थे, लोग मर रहे थे, हायतौबा हो रही थी, कानून बनाने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था । जो हो रहा है, वह हो रहा है, मुफ्त का चंदन घिंस मेरे लल्लू, जैसा चल रहा है, वैसे ही चलने दो, कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई मर रहा है तो मरने दो, जो जिस हाल में है तो उसको उसी हाल में रहने दो । आखिर मोदी जी ने कमान संभाली और कमान संभालने के बाद एक-एक चीजें जो देश की बर्बादी का कारण बन रही थी, लोगों के परिवार की बर्बादी का कारण बन रही थी, लोगों के परिवार बिखर चुके थे, लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, हरेक चीज को एक-एक करके जैसे कील मारते हैं, अगर कोई चीज खराब हो गई, ठक-ठक करके उसका पुख्ता प्रबंध किया है ।

यह बिल भी भ्रष्टाचार पर करारी चोट है । अब कोई शारदा नहीं होगा, अब कोई पर्ल नहीं होगा, कोई आदर्श नहीं होगा । इस किस्म की कई घटनाएं हुई थीं, वे घटनाएं-दुर्घटनाएं अब नहीं हो सकती हैं । इसमें तीन प्रकार के अपराध पहले से थे, जो इस तरह की स्कीम चलाता है या शुरुआत करता है, उसके लिए सजा का प्रवाधान किया गया है । जो ऐसी स्कीम चला कर लोगों को धोखा देता है, गलत बात बताता है और ऐसी योजना का संचालन और समर्थन करने के लिए फिल्म एक्टर अगर कहता है कि ऐसी स्कीम है, पैसा डिपोजिट करो, क्रिकेट या बैटमिंटन का खिलाड़ी, फुटबॉल का खिलाड़ी या पहलवान, जैसे

आजकल विज्ञापन देते हैं, अगर वे ऐसा विज्ञापन भी देते हैं तो वे भी अपराधी हैं और वे भी जेल के अंदर जाएंगे, इस कानून के अंतर्गत, पहले सत्र में इसका प्रोविजन हो चुका है ।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं । यह एक्ट बहुत पहले आ चुका था लेकिन इसमें कई खामियां थीं, कई कमियां थीं । वे लोग पनप रहे थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, वे मौज मार रहे थे, ऐश कर रहे थे, हर समय एसी (AC) में रहते थे और हर समय एग्जिक्यूटिव क्लास की फ्लाइट में जाते थे । उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, आम आदमियों से मुंह सिकोड़ कर बात करना, जैसे आम आदमी कुछ नहीं है । कोई आदमी मिले जिससे पैसा लिया है, अगर वह मांगने जाता था, हूं, बाहर जाइए, इस तरह से बात करते थे, बॉडीगार्ड रखते थे । अपने तक फटकने नहीं देते थे कि हमारे पैसे का क्या हुआ? मैं अभी अपने शहर हल्द्वानी-नैनीताल में था । मेरे पास माताएं बहनें आईं और कहने लगीं कि हमें आत्महत्याएं करनी पड़ेगी, आप कहीं न कहीं से पैसा दिलवाइए, हमने इसमें सारे रिश्तेदारों का पैसा लगा दिया है । हर स्टेट की कमोबेश यही दास्तान है । अब देश में ऐसा काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो करेगा वह मरेगा, जेल के अंदर जाएगा और तड़पेगा । हमारी सरकार ने इसका पक्का प्रबंध किया है ।

माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं, केंद्र सरकार बधाई की पात्र है । हम इतने कठोर कदम हर जगह उठा रहे हैं, अन्याय, भ्रष्टाचार और अनरैगुलेटेड चीजों का पटापेक्ष हो रहा है । लगता है आज देश का कोई रखवाला है, इस देश को कोई बचाने वाला है । कहते थे – है तुम्हारा कोई सिरमौर, कोई है देश का रखवाला? आज हम छाती ठोककर कह सकते हैं कि मोदी जी हम सबके रखवाले हैं, देश के रखवाले हैं, गरीब से गरीब के रखवाले हैं ।

इस एक्ट में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, बहुत बड़े बदलाव नहीं है । यह 1982 में बना था, उस समय चिट जो भी चलाता था एक लाख रुपये तक की चिट चला सकता था । अब इसे तीन लाख तक की छूट दे दी गई है । यदि कोई फर्म

पूर्व में चिट चलाती थी तो उसे छः लाख तक की छूट थी । अब वह 18 लाख रुपये तक की चिट चला सकती है । यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यापार कीजिए, कोई भी चिट खोलिए लेकिन एक-एक पैसे का एकाउंट होगा, उसकी एकाउंटिबिलिटी होगी । इसे व्यवसाय के रूप में अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका लिया है, उसे देंगे, ब्याज समेत देंगे । इस तरह से बिल्कुल विशुद्ध बैंकिंग प्रणाली है । चिट चलाने के लिए पहले दो व्यक्तियों के जरिये से, जो फोरमैन होता था, यानी चिट चलाने वाला होता था, वह किन्हीं दो व्यक्तियों को लाकर, खड़ा करके डिपोजिट को निकालकर विदड्रॉ कर सकता था । लेकिन अब पारदर्शिता लाने के लिए या तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग में खातेदार, डिपोजिटर दिखेगा या प्रत्यक्ष उपस्थित होगा । उसका फिजीकली वेरिफिकेशन होगा, चाहे वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हो । अब तो घपला कहीं हो ही नहीं सकता है चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गई है । फोरमैन को पांच प्रतिशत तक कमीशन मिलता था, लीगल कमीशन, जो कानून की नजरों में दिया जाता है, इसे अब सात प्रतिशत कर दिया गया है । अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी चिट को चला रहे हैं तो आपको चलाने के लिए खर्च भी मिलना चाहिए ताकि आपकी क्यूरियोसिटी (curiosity)जागे, आप और बेहतर काम कर सकें । हर एक के हितों की रक्षा इस एक्ट में की गई है ।

सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को पावर दी गई है कि कितने तक की धनराशि को छूट दे सकते हैं । कोई किटी चलाता है, कोई और कुछ चलाता है, कोई छोटी पार्टियां चलाता है, हम पोंजी टाइप की बात कह रहे थे, इसमें किस सीमा तक किसे छूट दे सकते हैं । छूट का प्रोवीजन भी राज्य सरकार के पास है । यह कहना कि राज्य सरकारों में भी घपला हो सकता है, अब ऐसा कतई नहीं हो सकता है । इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर राज्य सरकार में एक रजिस्ट्रार आफ चिट है, जहां चिट का पंजीकरण अनिवार्य होगा । इससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता है । अगर वह कहीं बाहर जाता है तो फिर अनरैलेगुलेटिड डिपोजिट कहलाएगा, जिसमें वह जेल जाएगा । इसमें कहीं भी इस एक्ट में शक की आवश्यकता नहीं है । इसमें संशोधन हो रहा है, बहुत अच्छा कानून बनकर आ रहा है । आम आदमी इसे व्यवसाय के रूप में भी ले

सकता है । इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों की डिपोजिट धनराशि सुरक्षित भी रहेगी ।

मैं सरकार और माननीय मोदी जी को को बधाई देना चाहता हूं कि किस तरह से वे छोटी से छोटी चीज को आगे ले जाकर भारत को सुरक्षित कर रहे हैं । आज हमारा देश मोदी जी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है । चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विदेशों में जो लोग जाते हैं, वहां उनसे लोग पूछते हैं कि कहां के रहने वाले हो, अच्छा भारत के रहने वाले हैं,मोदी जी के देश के, वैलकम, वैलकम । वे लोग जो यहां क्रिटिसाइज करते हैं, माननीय मोदी के नाम पर विदेशों में सम्मान पा रहे हैं । मैं सबसे इस एक्ट को पास करने के लिए निवेदन करता हूं । मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति जी, चिट फंड विधेयक, 2019 अपने आप में लैंडमार्क बिल है । इसे देखने से लगता है कि यह बहुत इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन चाहे एम्पलायमेंट का मामला हो, चाहे सेविंग का मामला हो, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भारतीय अर्थव्यस्था पर पोजिटिव होगा । मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे चिट फंड अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत है । मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि और सोच समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो, गरीब हो, इस तरह से जो भी हों, हम जो बैंकिग व्यवस्था देखते हैं, उसमें फार्मेलिटीज होती हैं, उसमें टाइम लगता है, कम्प्लीकेटेड है, इन सभी से बचने के लिए जो चिट फंड बिल में अमेंडमेंट आ रहा है, यह उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा । जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी की जन-धन योजना, चिट फंड अमेंडमेंट बिल या इस तरह के जो इन्स्ट्रूमेंट्स हैं, ये फाइनेंशिएल इन्क्लूजन का बहुत बड़ा टूल है । जहां पर भी फाइनेंशिएल इन्कलूशन का टूल है, वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा । क्योंकि पूर्व कार्यकाल में प्रधान मंत्री

जी की जन-धन योजना के माध्यम से देश में करोड़ों बैक एकाउंट खुले, पहले बैकिंग व्यवस्था बहुत ही लिमिटेड लोगों तक थी । गांवों में चिट फंड जिस हिसाब से चलता है, शहरों में भी चलता है, उसको प्रमोट करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि ने किया है । क्योंकि आज फाइनेंशिएल इन्क्लूजन नहीं है तो हम अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकते हैं । अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फाइनेंशिएल इन्क्लूजन चाहे जन-धन योजना के संबंध में हो, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के संबंध में हो या चिट फंड के मामले में हो, इसके लिए मेरा मानना है कि ये जो एक्सीलेंट टूल्स हैं, ये फाइनेंशिएल इन्क्लूजन को प्रमोट करेंगे । अगर हम एम्पलायमेंट की बात करें, हमें डॉयरेक्ट एम्पलायमेंट में इसका इम्पैक्ट भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट एम्पलायमेंट हम मिलियन्स में देख सकते हैं । इससे इनडायरेक्ट एम्पलायमेंट मिलियन्स में होगा । क्योंकि जब हम फाइनेंशिएल इन्क्लूजन के लिए काम करेंगे और इसमें जो गरीब लोग हैं वे लोग मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है । जैसे मैंने बताया कि बैंकिग सेक्टर में जब क्रेडिट की बात आती है, क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारी फार्मेलिटीज करनी पड़ती हैं । एलिजिबिलिटी से लेकर हर चीज के लिए रिजिड पॉलिसीज हैं । इन सारी चीजों को चिट फंड एक्ट में और अमेंडमेंट करके स्ट्रीम लाइन किया गया है । इसको और भी ज्यादा इंस्टिट्यूशनलाइज किया गया है, जिससे आराम मिलेगा ।

हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको हम कंट्री की बैकबोन कह सकते हैं । आज हम जो 90 परसेंट एम्पलायमेंट जेनरेशन देख रहे हैं, वह हमारा एमएसएमई सेक्टर दे रहा है । इस सेक्टर के लिए भी जो चिट फंड अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा । क्रेडिट गैप बहुत बड़ा है क्योंकि मैं कई वक्ताओं को सुन रहा था, उसमें देख रहा था कि एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गैप है, वह करीब 17 लाख करोड़ का है । इतना बड़ा क्रेडिट गैप जो एमएसएमई के लिए बना हुआ है, चिड फंड से यह गैप ब्रीच होगा, कम होगा और हमारे एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के प्वाइंट ऑफ व्यू से बड़ा पुश मिलेगा और एमएसएमई में बहुत बड़ा काम

होगा । यह जो कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशिएल एंड क्रेडिट अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बैंकिंग इंस्टिट्यूशन्स से अलग एक पैरलेल व्यवस्था बहुत जरूरी है । कई बार यह लगता है कि लोगों का सोचना यह न हो कि यह सेफ नहीं है तो मरा मानना है कि इसमें जो चिट इन्वेस्टमेंट है, वह अपने आप में सेफ है । क्योंकि इसकी जो गवर्निंग ऑथोरिटीज है, वे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं । इस तरह के जो भी इंस्टिट्यूशन वर्क करेंगे, उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है । अगर रजिस्टर्ड होगा तो उनकी एकाउंटेबिलिटी होगी, लाइबिलिटी होगी और इसके बाद एक चैकिंग व्यवस्था है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो 1982 के एक्ट में हैं, वे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हैं । इसके कई एडवांटेज हैं । यह एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए सेविंग है और एक बौरोइंग प्रोडक्ट है । वह सेविंग और बौरो साथ में कर सकता है, पेपर वर्क्स नहीं के बराबर हैं और रिटर्न भी हाई है ।

उसके अलावा जो मार्केट में अगर वह कहीं ईक्विटी, बौंड या म्युचुअल फंड में पैसे लगाता है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको लॉस हो सकता है । लेकिन यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट टूल है जिसमें लॉस होने के चांसेज बहुत कम हैं । कई बार हम देखते हैं कि तुरंत ही जब इमर्जेन्सी होती है, उसको फंड की जरूरत होती है, बैंकिंग इश्यूज में एक औपचारिकता होती है, लोन और क्रेडिट देने का उनका एक मैकेनिज्म होता है लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यह बिल्कुल ईजी है और उसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होने की वजह से जब इमर्जेन्सी होती है, चाहे फैमिली में मेडिकल इमर्जेन्सी हो, चाहे बच्चों की फीस के बारे में हो, चाहे छोटा-मोटा बिजनेस खोलने के बारे में हो, उस समय यह मददगार साबित होता है । जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कोई अपनी सेविंग्स 10,000 रु. महीने करता है और 6 महीने तक लगातार सेविंग करता है तो हम मान लेते हैं कि उसके 60,000 रु. जमा हो गये हैं । उस पर ब्याज तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ-साथ वह अपनी 80 प्रतिशत रकम विदड्रॉ कर सकता है, ये प्रावधान भी उसमें हैं । लेकिन कुछ चुनौतियां जो मैं देख रहा हूं, जैसे कि एसोसिएशन विद इंवेस्टमेंट जो है, ऐसे जो स्कैम हैं, उनमें हमें कानून को और मजबूत करना पड़ेगा ।

कई लोग पौंजी स्कीम से इसको अटैच कर रहे थे, पौंजी स्कीम बिल्कुल अलग है और चिट फंड एक्ट 1982 अगर हम पूरा देखें, उसमें और पौंजी स्कीम में बहुत फर्क है । इसके साथ इसको कनैक्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए । इसमें जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स पहले से चल रहे हैं, अब नयी तकनीक आ गई है, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे ये अच्छे संशोधन लेकर आए हैं, उसकी वजह से यह चिट फंड स्कीम और भी ज्यादा स्मूथ होगी । चिट फंड की जगह यह जो फ्रैटरनिटी फंड दिया है, इसको अच्छे नजरिये से देखा जाएगा । मैं सारी बातों को देखते हुए यह कहना चाहूंगा कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे वह शहर में हो या गांव में हो, जो गरीब है, जिनके छोटे-छोटे व्यवसाय हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए भी काम आएगा और साथ में एक बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा ।

***SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on Chit Fund Amendment Bill, 2019. I fully support the amendments made in this bill. Hon. Chairman, while discussing this bill, we should keep in mind the people who have invested their money in these schemes. The people living in the rural areas and the labourers who earn only Rs. 200-300 per day, have invested their money. It is their hard-earned money. They had invested in these high return schemes just to secure their future and to marry off their children. The companies like Pearl India, Samruddh Jeevan have duped people at large. The people were deceived and did not get their money back. They have been waiting for the last 8-10 years for their money. This money belongs to the poorest of the poor and it was their very hard-earned money. Their money has got stuck in these chit fund companies and the investors are now completely helpless and clueless. Hence, I would like to request to seize the properties of these dubious and

defaulter companies and by selling off their properties, the money should be returned back to these poor people immediately. I would also like to request you to kindly stop the financial activities of 91 defaulter companies which are blacklisted by SEBI. These kinds of companies are mushrooming everywhere and hence the defaulters should be punished. Helpless people as well as the agents are forced to commit suicide. The investors are completely devastated and seeking help from Government. Hence, I would like to demand of the Hon. Finance Minister to make a necessary provision for strict and panel action against these defaulters in this bill.

Lastly, I would like to congratulate and support the Government for making these amendments in this bill. Thank you for giving me an opportunity to speak.

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): मैडम जी, यह चिट फंड का इश्यू कल-परसों से चल रहा है । यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें जो लोग फंसते हैं, वे ज्यादातर गरीब हैं या मिडल क्लास के लोग हैं । इसमें बहुत धनी व्यक्ति व्यक्ति नहीं फंसता है । इसका बेसिक कारण क्या है कि गरीब इसमें फंसता क्यों है । अनफोर्चुनेटली, यहां फाइनैंस डिपार्टमेंट से कोई नहीं हैं, यहां पार्लियमेंट्री मिनिस्टर बैठे हैं । जब से देश आजाद हुआ है ।...(व्यवधान) आप हट जाइए । चेयर को मेरी ओर देख लेने दो।...(व्यवधान) वह हमारी बात को अच्छी तरह से सुन लेंगी । मैडम, मेरा जो अपना ओपिनियन है और सर आपसे भी विनती है कि फेल्योर का रीजन क्या है? मंत्री जी यहां आ गए, उनका स्वागत है । चाहे कोई भी सरकार रही हो, हम गरीब लोगों के लिए उनकी बचत के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए, उसको समझ पाए । अब अगर उनको बैंक का खाता खुलवाना है, तो हम लोगों का फॉर्म भरने में धुआं निकल जाता है । मेरे ख्याल में शायद कोई माननीय एमपी खुद फॉर्म नहीं भर सकता है । गरीब की आदमी की समस्या यह है कि वह 50-100 रुपये बचाना चाहता है, लेकिन जो फाइनैंशियल फॉर्मल सिस्टम है, उसमें उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ।

वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि यह बेसिक बात है कि इसमें गरीब आदमी क्यों फंस रहा है, क्योंकि हम फॉर्मल सिस्टम में उसकी छोटी बचत 10-20 रुपये को कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे चिट फंड की तरफ जा रहे हैं । चिट फंड कौन कर रहा है, उसी के मोहल्ले का जानने वाला कोई आदमी कहता है कि अरे! तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे को दोगुना कर दूंगा, तिगुना कर दूंगा, चार गुना कर दूंगा तब वह कहता है कि जितना पैसा मेरे पास है, उसे इसमें रख दो, कुछ न कुछ तो इससे मिलेगा । हमें सोचने की जरूरत है कि गरीब आदमी की जो छोटी-मोटी बचत है, उसको फॉर्मल सिस्टम में कैसे लाएं । सर, जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है, आपने अमेंडमेंट्स भी दी है, सवाल ऑर्गनाइज्ड सेक्टर का नहीं है । आज भी जो चिट फंड रजिस्टर कराते हैं, उनको आप कानून के तहत पकड़ सकते हैं । सवाल तो अनऑर्गनाइज्ड का है, जो गांव-गांव बैठे हैं, इधर-उधर बैठे हैं । मैंने सभी अमेंडमेंट्स पढ़े । आप कह रहे हैं कि जो अनरेगुलेटर और अनऑर्गनाइज्ड हैं, हम उनको ठीक करेंगे ।

मेजर पॉइंट, जो इसमें मीसिंग है, मैं विनती करना चाहूँगा कि उन गरीब लोगों के पैसे की क्या इंश्योरेंस है, यहाँ तो बैंक खातों की इंश्योरेंस नहीं है, हमारा चाहे 20 लाख रुपये पड़े हों, लेकिन एक लाख रुपये की इंश्योरेंस ही मिलेगी । जब तक गरीब लोगों को फॉर्मल सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, कोई इंश्योरेंस का प्रबंध नहीं किया जाएगा, तो ये जो अन-रेगुलेटेड, अन-ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स खुल रही हैं, जब तक उनके लिए कोई प्रबंध नहीं होगा, तब तक चिट फंड पर बहुत कंट्रोल नहीं होने वाला है । आपने कोशिश अच्छी की है, क्योंकि ऑरिजनल एक्ट 1982 का है । इतने वर्ष बीत गये हैं, इसलिए इसमें अमेंडमेंट तो होनी चाहिए । लेकिन हमारी विनती है, आपकी मेजॉरिटी है, you can push this amendment. कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? गरीबों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है कि गरीबों का कोई बहुत फायदा नहीं होगा । अगर आप हमारी विनती मानते हैं तो इन्श्योरेंस और म्युचुअल फंड में गरीब लोग कैसे बचत कर सकते हैं? जो अनऑर्गनाइज़्ड फर्म्स जगह-जगह खोल देते हैं, उनको आप इसमें कैसे ला

सकते हैं? जो फॉर्मल हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे तो पहले भी फंसते थे और अभी भी फंसेंगे, सवाल दूसरों का है । आपने यह जवाब अपने अमेंडमेंट में कहीं नहीं दिया है । मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं । इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइज़ेशन चाहिए । यही मेरे सुझाव हैं । मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं । मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): My dear brother, Shri Anurag Thakur, who happened to be the Minister of State in the Ministry of Finance has been displaying inexhaustive presence by hearing, by listening to all the arguments dished out by the Members of this House with rapt attention. That is why, he is deserved to be praised lavishly. I would simply add two or three points. Yes, it is a fact that chit fund is itself an institution, which has been existing in our country for centuries. So, it has huge potentiality but the consumers who are entitled to enjoy the benefits of these financial institutions are considered less empowered, vulnerable and poor. So, my first observation is that consumers should be given the legal protection. What are the legal protections enshrined in this legislation so as to save those less-empowered, poor and vulnerable sections, who are using these institutions as a credit and savings institution simultaneously?

In our country, the chit fund institutions, in spite of having all its potentialities cannot escape the anathema attached with its name. The name, `chit' immediately haunts the spectre that it is meant for cheating and deceiving the people. So, the anathema is attached with the name itself - `chit', which is interpreted as `cheat'. This anathema needs to be done away with. In this legislation, you have tried to do away with this kind of name attached to anathema. I would also like to suggest that you

should also replace the word `foreman' because it appears to be discordant with the objective of this legislation.

Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the issue. Would the Chit Funds Act 1982 by itself prevail over the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996? The position with respect to jurisdiction of consumer courts in entertaining chit fund disputes is yet to be settled in view of the divergent views taken by the Madras High Court in N. Venkatesa Perumal Vs. State Consumer Dispute Redressal Commission in 2003 which held that consumer forums had no jurisdiction to entertain complaints pertaining to chit fund transactions. The hon. High Court in Margadarsi Chit Fund Vs. District Consumer Dispute Redressal Commission held that consumer forums can deal with chit fund transactions. So, there lies some confusions. National Consumer Disputes Redressal Commission held that the Consumer Protection Act provides an additional remedy in terms of Section 3 thereof. So, what is the opinion of your Minister in that regard? I would like to flag the attention of the hon. Minister that under Section 87 of the Principal Act, the State Government is empowered to exempt some chit fund companies from any or all the provisions of the Chit Funds Act. It has been submitted that the criteria for exemption should be transparent and certain, and a level-playing field should be provided to all the entities operating in the chit fund sector. This has been cited by other hon. Members also. I also require further clarifications.

Yes, there is no dispute that the Bill should be recognised as a bold and transparent step but the fact remains that, in our country, we do

not have any dearth of legislation. Plethora of legislations is being enacted in Parliament but, at the same time, there is no dearth of fraudulent scamsters and unscrupulous elements, who are deceiving the poor, less empowered and vulnerable population by cocking a snook to all the existing provisions in our Acts. So, we need a very robust and comprehensive legislation in order to stem the rot. In spite of all the legislative instrument that we have had at our disposal, we cannot save the vulnerable people from being deceived. That is why the hon. Members are expressing concerns.

I am also hailing from that State which has already earned the status of notoriety. It may be called 'collective investment fund', there may be various nomenclature to hide the intention but the fact is that the entire State of West Bengal has been ravaged by those unscrupulous elements who have deceived lakhs and lakhs of common people. Still, many of them are roaming with impunity. Not even a single penny has been recovered. Sometimes, I feel do we require further legislation with all the punishments. Though all the mechanisms are stated to have been existed in the present legislation, what more teeth do we require?

हमें और क्या चाहिए? हम रुक नहीं पाते हैं । चिट फंड को लेकर गोरखधंधा हो रहा है । करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं । बंगाल से हमारे साथियों ने, चाहे वे बीजेपी पार्टी से क्यों न हों, जो बात उठाई है, वह बिल्कुल सही है कि बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को लूटा गया है । हजारों करोड रुपये लूटे गए । लेकिन हां, यह बात सही है कि वह चिट फंड और पौंजी दोनों अलग हैं, जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा है । सब कन्फ्यूज हो जाते हैं । हमें खुद पता नहीं हैं कि इतने सारे लीगल इम्प्लिकेशन्स हैं कि हम लोगों को सही तरह से इसके बारे में पता करना मुश्किल हो जाता है । अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स इसी का फायदा उठाते हैं और गरीब लोगों को बरबाद कर देते हैं । मैं एक और बात रखना चाहता हूं और वह यह है कि आपने यह कहा कि the Bill secures the

interest of foreman by giving him the right of lien to secure the dues from the subscribers. However, the Bill does not secure the interest of the subscribers in case of a default by the foreman. फोरमैन की रक्षा करने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सब्स्क्राइबर को और गरीब लोगों को फोरमैन से बचाने के लिए हम कोई साधन नहीं देते हैं । एक और चीज मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि - The major players of the chit fund industry observe that the said Bill does not have the potential to solve the basic problem confronting the sector – the unorganised players. T.S. Sivaramakrishnan, General Secretary, All India Association of Chit Funds has categorically observed that the Bill does not have provision to bring the unorganised players into the organised fold. The focus of this legislation is stated to bring the unorganised sector into the organised arena. Experts opine that the number of unorganised entities is over many times more than the organised ones, and this does not bode well especially, when the size of the industry is valued at over Rs.50,000 crore. So, without any hesitation, I am extending all our support to this legislation with a hope that henceforth poor and vulnerable people will be adequately safeguarded by this legislation.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । पूरे सदन में हमारे बहुत सारे साथी बोल चुके हैं और सारी बातों पर विस्तार पर चर्चा हुई है । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत सारे कानून बदले हैं और इसका मतलब यह है कि पहले बनाए गए कानूनों में कहीं न कहीं कुछ खामियां रह गई थीं । यह चर्चा भी इसीलिए हो रही है कि सब अपने सुझाव दे सकें । जरूरी नहीं है कि जो बिल आज संशोधन के लिए आया है, यह सही हो । इसमें भी कहीं न कहीं खामी रह सकती है । अत: मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि गांव-देहात में कहीं चिट फंड को कमेटी का नाम देते हैं, कहीं इसको सोसायटी का नाम देते हैं । चीटिंग अलग-अलग नाम बदलकर होती है और वे लोग इतने शातिर होते हैं कि ऐसा माहौल और

ऐसी जगह देखते हैं जहां लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी न हो । अत: वे लोग ऐसी जगह ही अपना सेटअप जमाते हैं । ज्यादातर वे लोग इसके शिकार होते हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं होती है, जिनके पास साधन नहीं होते हैं, जो कम पढ़े-लिखे होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं और जिन्होंने पैसों की कमी देखी होती है । वे इस लालच में आकर कि हमारे पैसे दोगुने हो जाएंगे, तीन गुने हो जाएंगे, वे इस जाल में फंस जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि यह जो संशोधन बिल आया है, इसमें पूर्व में जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, चाहे वह किसी भी राज्य में हुई हो, क्या सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए ऐसे किसी बजट का प्रावधान रखा है जिससे प्राइमरी स्टेज पर उनकी कुछ सहायता हो जाए, उनकी रोजी-रोटी चल जाए? जो लोग सुसाइड करने की स्थिति में हैं, जो लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं, क्या सरकार ने उनके लिए कोई प्रोविज़न रखा है? दूसरा, अगर सरकार यह सोचती है कि जिसके पास पैसा था, उसने चिट फण्ड में पैसा दे दिया, जिसके पास पैसा था, उसने कमेटी में दे दिया, जिसके पास पैसा था, उसने सोसायटी में डाल दिया । जिस तरह से सरकार का आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान है तो क्या कोई सरकार ऐसा सोचती है कि उसकी एक ऐसी लेयर बनाए कि सरकार की तरफ से उसकी कमाई का सर्टिफिकेट, अगर इतनी कम कमाई है और इससे नीचे बिलकुल इतनी ही कमाई है तो केवल उसके लिए हो, जिससे कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनको रोटी किसी भी सूरत में नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में हैं । जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं और उनके साथ चीटिंग हो गई है । जिनके घरों में झगड़े हो रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ताकि इससे वे बच सकें, तो मैं आपके माध्यम से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इसे कमेटी में भेजा जाए । मैं उस कमेटी में भी हूं और वहां से जो सुझाव आएं, उसके अनुसार संशोधन करके दोबारा से बिल को लाया जाए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : कमेटी से बिल होकर आ चुका है और उसकी रिपोर्ट काफी लम्बी-चौड़ी है ।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदया, आप अभी यहां से बोलकर सभापति जी की कुर्सी पर चली गई हैं तो स्वाभाविक तौर से आपका

ज्ञान दोनों स्थान का है, वैसी परिस्थिति में बोलना कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा । महोदया, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं के बारे में हम बचपन से सुना करते थे, लेकिन इसका क्या दायरा है, यह समझना कभी सम्भव नहीं हो पाया था । समय-समय पर इस बारे में तभी चर्चा आती थी, जब पता चलता था कि 30 हजार करोड़ रुपये निकलकर किसी के पास चले गए हैं । कभी पता चलता था कि रोज़ वैली टाइप का कुछ हुआ है और 60 हजार करोड़ रुपये चले गए हैं । हमारी सरकार ने कम से कम कलेक्टिव स्कीम्स, जिसे पिछले सत्र में पारित किया गया है, या चिट फण्ड है । पहले बहुत सारे रेगुलेटरी फण्ड्स थे, जिनको सेबी कवर नहीं कर पाता था तो उसमें से चिट फण्ड भी एक था । पिछले सत्र में ही इसे पारित किया जाना था, क्योंकि वर्ष 2018 से ही यह चल रहा है, लेकिन सौभाग्य से हमारी सरकार को इस विधेयक को पारित करने का अवसर मिला है । इसका जो साइज बताया जाता है । जब तक सदन में चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सामान्य रूप से पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता है, तब तक यह अनुमान नहीं लगता है कि जिन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका साइज क्या है?

चिट फण्ड की बात करें तो goes upto Rs. 500 billion which is the cost. तीन प्रकार के चिट फण्ड थे । एक तो राज्य सरकारें करती थीं, उनके अधीनस्थ पीएसयूज़ इत्यादि करते थे । कुछ हद तक उन पर नियंत्रण रहता था, कुछ हद तक नियंत्रण नहीं रहता था । उसके बाद दूसरी श्रेणी का था जो प्राइवेट रजिस्टर्ड था । उस पर भी कुछ प्रकार का नियंत्रण रहता था । लेकिन उसमें भी लूपहोल्स रहते थे, जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते थे । लेकिन इनके अतिरिक्त अनरजिस्टर्ड चिट फण्ड्स थे, उनकी संख्या देश में, वर्ष 1982 में जो चिट फण्ड एक्ट बना, उस दौरान लगभग 10 हजार से अधिक चिट फण्ड की संस्थाएं थीं । उसमें बहुत सारी सम्भावनाएं थीं, जिसके कारण लीकेज थी और वह सेबी के भी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं था । इस प्रकार से देश की बहुत बड़ी वित्तीय व्यवस्था चिट फण्ड के माध्यम से थी । यह पारम्परिक रूप से सौ वर्षों से अधिक समय से है । यह देश की आजादी के पहले भी था और देश की आजादी के बाद भी चल रहा है । लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम सभी लोग राजनेता हैं,

सांसद हैं और विधायक हैं । इस देश में जो व्यवस्था है उसमें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ तीन हजार सांसद और जनप्रतिनिधि हैं । लेकिन सरकारी व्यक्तियों की संख्या कहीं ज्यादा है, चाहे वह राज्य सरकार में हों या केन्द्र सरकार में हों । हम पांच साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं । लेकिन संस्थागत तरीके से तीस वर्ष तक रहने वाले अधिकारियों की संख्या ज्यादा है । हम सब सीमित समय के लिए आएंगे । जब सदन के भीतर पांच वर्ष के लिए आएंगे तो चर्चा करेंगे, फिर सदन के बाहर चले जाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति जीतकर आएगा । इस आंशिक पांच वर्ष के भीतर हम इतना काम करते हैं । लेकिन संस्थाओं को देखने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी पिछले 70 वर्षों से रही है । अगर उन्होंने इस विषय को ध्यान से देखा होता, इस देश के 70-72 परसेंट भारत के लोग चिट फण्ड में इनवेस्ट करते हैं, ऐसी समिति की रिपोर्ट भी है । लोगों का 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा इसमें लुट गया है । अभी भारत में लगभग 30 हजार से अधिक चिट-फंड हैं, उसका मूल्यांकन किया गया है तो वे जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, लगभग 35 हजार करोड़ रुपये हैं । ये रजिस्टर्ड वाले हैं, जिनको हम जानते हैं । सौ गुना इससे अधिक हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब है कि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार इसमें होता है और इसमें संभावनाएं हैं । मुझे लगता है कि एक तरफ बैंक्स अगर लाख, दो लाख या तीन लाख करोड़ का व्यापार करते हैं तो चिंट-फंड की व्यवस्था में भी साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये है । यही एक बड़ी चिंता का कारण बनता है ।

महोदया, आखिर इनका उपयोग कौन करता है? मतलब इसका आकर्षण किनके लिए होता है? ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है । हम किटी पार्टीज़ की बात छोड़ दें, जो भारत में बहुत ही पारंपरिक तौर से बड़े लोगों के बीच में होता है, वह अलग विषय है । लेकिन चिट-फंड से जो लोग जुड़ते हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, खेत-खलिहानों में काम करते हैं । उनको लगता है कि साहब अब सौ रुपये जमा करें, चार-पांच सौ रुपये जमा

किए हमको पांच हजार रुपये मिल जाएंगे, उसका आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बहुत है । इसी प्रकार से हमको याद है कि तरह-तरह की योजनाएं भारत में आती रही हैं । यहां हमारे एक बड़े मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पटना में एमू की खेती की थी । जब हम इनके घर पहुंचे तो माननीय मंत्री जी के घर में कम से कम चार सौ एमू था और एमू के अंडे बेच रहे थे । पहली बार हमको समझ में आया, लेकिन उसके पहले दक्षिण में कहीं सुना था कि यह जो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है । मंत्री जी हम आपका उदाहरण दे रहे हैं । वे किसी और ज्ञान में पड़े हुए हैं । मंत्री जी आपके एमू की चर्चा हो रही है । जो आपके घर में था, आपके एमू की चर्चा हो रही है । हम इधर बोल रहे हैं, आप उधर सर हिला रहे हैं । हम आपके बारे में बोल रहे हैं । मैडम, ये चार सौ एमू ले कर आए थे । ये उस समय बिहार सरकार के मंत्री थे, अब हमको समझ में आ रहा है कि पहली बार हमने अपने जीवन में एमू देखा तो बड़ी-बड़ी पक्षियां इनके घर में घूम रही थीं । इन्होंने कहा कि बड़ा अंडे का व्यापार होता है । तब तक मैंने एमू ध्यान से नहीं देखा था । लेकिन बाद में जब हमने कागज पलट कर देखा तो एमू के व्यापार करने वाले इस देश में दो का चार बना रहे थे और चार का आठ बना कर एमू के नाम पर लोग पैसे का निवेश करा रहे थे । मुझे विश्वास नहीं है कि मंत्री जी ने अपने पैसे से एमू का व्यापार किया था । …(व्यवधान) लेकिन एमू के नाम पर पूरे भारतवर्ष में ऐसी-ऐसी योजनाएं थीं । फिर एक किसी ने कहा कि अगर आप इज़राइल की यात्रा करेंगे और ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपकी इस यात्रा से जो कमाई होगी, उसमें से हम जो टूरिज्म का प्रॉफिट कमाएंगे, उससे हम भारत में स्कूल और अस्पताल खोलेंगे । बाद में वह व्यक्ति लगभग दस हजार करोड़ रुपये ले कर चला गया । ऐसे-ऐसे ज्ञानी लोग भारतवर्ष में कितने और कहां-कहां हैं, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है । …(व्यवधान) ये तो कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि एमू का अंडा बेचना है और पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है । मैं उस विषय को नहीं उठा रहा हूँ, केवल संदर्भित कर रहा हूँ । …(व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): सभापति महोदया, मुझे माननीय सदस्य का जवाब देना है । माननीय सदस्य ने जिस एमू की चर्चा की है, चिट-फंड से उसका कहीं रिश्ता-नाता नहीं है । ...(व्यवधान) वह एमू मैं अपने घर के लिए लाया था । ...(व्यवधान) ये जान लें । अगर नहीं जानें तो थोड़ा और ज्ञानवर्धन कर लें । ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल इतना ही कहा कि मंत्री जी आपके घर में उन 40 और 50 एमू को देखने के बाद मेरा एमू के प्रति ज्ञान बढ़ा । ...(व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : माननीय सदस्य, तो उसमें चिट-फंड कहां से आ गया?

श्री राजीव प्रताप रूडी : पता नहीं । आप भारत सरकार के मंत्री हैं, कम से कम जो बोल रहे हैं, इसी पर चर्चा हो रही है चिट-फंड की हो रही है कि देश में एक बार योजना चली थी, जिसमें एमू के नाम पर लोगों ने वसूल लिया था । ...(व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : महोदया, देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एमू चिट-फंड में आया था । हमने एमू लिया जरूर था, लेकिन एमू के ग्राहक मिले नहीं, लेकिन चिट-फंड से इसका कोई लेना-देना नहीं है । ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मंत्री जी,ठीक है, आप सही बोल रहे हैं । एमू की एक योजना थी, जिसके बारे में मैंने बता दिया है । ...(व्यवधान) बाकी जो लोग समझ पाएं हैं, समझ गए हैं । ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आपसे कुछ लेना-देना नहीं है । ...(व्यवधान) महोदया, मैं कह रहा था । ...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि गिरिराज जी जो बोल देते हैं तो उस पर आगे क्रॉस करना नहीं चाहिए, बल्कि मान ही लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो । ...(व्यवधान)

*m26

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मेरे पास कागज़ बहुत हैं, मुझे बोलना है । लेकिन एक बात बताएं और मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और ये तो हमारे छोटे मंत्री जी इस विभाग के हैं, छोटे और बड़े मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । देश की सरकार ने और देश के प्रधान मंत्री जी ने इन सब चीजों को देख कर के एक बहुत बड़ी योजना लागू की है । सचमुच में पता नहीं, माननीय सांसदों ने कितने स्थानों पर इसका लाभ उठाया । लेकिन मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में और जो प्रधान मंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, शिशु योजना, उन्होंने इन्हीं सब परिस्थितियों को देख कर, यहां तो पैसा लगाना पड़ता था । मैंने कम से कम डेढ़ सौ करोड़ के आस-पास अपने संसदीय क्षेत्र में शिशु योजना के तहत् पैसे बंटवा दिए हैं । हमारे पास जो योजनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे तमाम लोग जिनको मैंने पैसा दिलवाया, उनसे मैंने पूछा कि शिशु योजना में जो बैंक से आपने लोन लिया है, आपके पास सिलाई की दुकान है, आपके पास मीट की शॉप है, आपके पास परचून की दुकान है, आपके पास चूडियों की दुकान है, आपके पास मोबाइल रिपेयर की दुकान है और इन सब लोगों की दुकान चल रही थी । जब मैंने सब लोगों को लोन दिलाया तो सभी लोग जो

अपना व्यापार 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार में करते थे, इन्होंने अपने जीवन में बैंक से कभी लोन नहीं लिया । यह सचमुच में एक्सपेरिमेंट है ।

महोदया, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा । मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण सभी सांसदों को देना चाहूंगा । मैंने 23 हजार आवेदन मुद्रा योजना के तहत बैंकों में जमा कराया । उसमें से मुश्किल से 700-800 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 21 हजार आवेदन बैंक ने किसी न किसी कारणवश एक फार्मेट लगाकर लौटा दिए । मुद्रा योजना जो देश की सरकार और प्रधान मंत्री की सबसे बड़ी योजना है अगर हम सब मिलकर इसको कार्यान्वित कर दें और भारत की सरकार और माननीय मंत्री इसकी निगरानी करें तो ऐसे चिट फंड बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । गरीब अपने बैंक के खाते से पैसा निकालेगा और उसके बाद एमाउंट डेबिट होगा । वह अपना व्यापार करके उसे लौटा देगा । जब देश की सरकार और देश के बैंक्स, अगर बैंकिंग सर्विसेस हमारे यहां थोड़े सा लोगों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े जो स्कैंडल्स होते हैं या इस प्रकार के रेगुलेशन की हम बात करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मैं आपके माध्यम से एक पायलेट के रूप में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप भारत के वित्त मंत्री के रूप में यहां बैठे हैं । अगर आप सिर्फ छपरा को पायलेट के रूप में एक बार एग्जामिन करवा लें । मैंने आग्रह किया है कि गरीबों तक पहुंचने की जो वित्तीय व्यवस्था है, उसमें मुद्रा योजना के तहत मैंने कितने आवेदन डलवाए । आपके बैंकों ने बिना किसी कारण के एक पैमफ्लेट लगाकर कितने को अस्वीकृत किया है और कितने को स्वीकृत किया है । अगर एक जिले को पकड़ कर आप पायलेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे बिलों की सम्भावनाएं भारत में विमर्श करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी । हम देश के गरीबों को बहुत आगे लेकर चल सकते हैं और किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी । इस विषय पर विस्तार से सदन में जब-जब मौका मिलेगा...(व्यवधान) मैडम, आप मेरी बातों से नाराज हुई हैं, आप उठ रही है, आप मत उठिए ।

17.18 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

मुझे लगा कि आप मेरी बातों से नाराज होकर जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, जब बड़ी बात हम रख ही रहे थे, तो आपके समक्ष भी एक बार फिर से उसी बात को संक्षिप्त रूप से रख ही दें । यह मेरा सौभाग्य है कि मीनाक्षी जी जा रही हैं और आप इस कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं । आपकी मुस्कान के सामने बोलने की इच्छा और भी बढ़ जाती है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि यह चिट फंड के पहले हमने कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम पर भी विधेयक पारित किया । देश में लोगों के पैसे की और जो जमा की हुई राशि है, उसकी बचत के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि छपरा जो जिला है, आप पायलेट के रूप में उस जिले के बारे में, अगर आप जिले के रूप में सारण जिला जो बिहार का मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां 23 हजार मुद्रा योजना के आवेदन हमने जमा कराए हैं, मुश्किल से 700-800 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, 21 हजार के आस-पास आवेदन पड़े हैं । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सारण जिले को पायलेट के रूप में माननीय मंत्री जी एग्जामिन करवा लें कि कितने आवेदन किए गए, गरीबों तक कितना पैसा पहुंचा । ऐसे चिट फंड की सम्भावनाएं और काननू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । जब गरीबों के पास, नौजवानों के पास, साइकिल बनाने वाले दुकानदारों के पास, परचून की दुकानदारों के पास, चूड़ियां बेचने वाली उस गरीब महिला के पास अगर ये पैसे सीधे सरकार के बैंकों से जाने लगे तो स्वाभाविक तौर से देश में यह नुकसान जो होता है और देश में गरीबों को जो लूटा जाता है, उस व्यवस्था को हम नियंत्रित कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा । धन्यवाद ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): महोदय, धन्यवाद । चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि

जब भी देश के गरीब की बात आती है, छोटे व्यापारी की बात आती है, लोक सभा के इस सदन में सभी अपने राजनीतिक दलों से, विचारधाराओं से ऊपर उठकर कानून बनाने में एकजुट और सहमत होकर अपने विचार भी रखते हैं, सुझाव भी रखते हैं और इस कानून का समर्थन भी सब तरफ से देखने को मिला है । इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इसमें अपनी बात रखते हुए और क्या सुधार हो सकते हैं, इस बिल से क्या सुधार होगा, क्या चुनौतियाँ समाज में हैं, इन सब विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है । कहीं न कहीं ये बातें भी आईं कि क्या डिपॉजिट स्कीम या पैसा इकट्ठा करने वाले जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसकी चर्चा भी हुई, कहीं न कहीं उस बात को एक मिक्सअप होते हुए भी देखा गया । अनरेग्युलेटिड डिपॉजिट को हम चिट फंड के साथ कहीं न कहीं बहुत बार बातों में मिक्स कर गए । अगर आपको याद हो कि पिछले ही सत्र में जब banning of unregulated schemes deposit पर कानून बनाने के लिए हम यहाँ पर आये थे, तब भी इस सदन में भी और राज्य सभा में भी सभी माननीय सांसदों ने, जिन्होंने उस चर्चा में भाग लिया, उसमें भी बहुत अच्छे विचार दिए और जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी थीं, उन्होंने उस समय सारी अमेंडमेंट्स विदड्रा भी की थीं कि यह गरीब के हित में बिल है, ताकि उसका जो ईमानदारी का पैसा है, जो छोटी-छोटी बचत है, कहीं वह बर्बाद न हो जाए, इसलिए उस समय भी इन सब लोगों ने सहयोग किया था । यह मात्र दो-तीन महीने पुरानी बात है । चिट फंड बिल शायद उस समय आता ।

पिछली बार जब यह 16वीं लोक सभा में यहाँ पर आया, वित्त संबंधी स्थायी समिति को इसे देखने के लिए कहा गया, विस्तार में इस पर चर्चा हुई । इससे पहले की-एडवाइजरी ग्रुप इस पर बनाया गया था । उन्होंने अपनी अलग से रिकमंडेशन दी थी । फाइनेंस कमेटी के सारे विचार सुनते हुए, उनकी 21वीं रिपोर्ट भी सुनी, उसमें उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट आयी थी । फिर 35वीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सशक्त और एक अच्छा कानून बने, जिससे चिट फंड में जो अपना पैसा देते हैं, उनको कहीं न कहीं सुरक्षित रखा जाए और मजबूती वहाँ पर मिल सके । उसमें प्रमुखता क्या थी, जो banning of unregulated deposit था, उसमें डिपॉजिट जो कंपनियाँ लेती हैं, जो 9 रेग्युलेटर

से बाहर हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन, जो इन जैसे 9 आर्गनाइजेशंस से बाहर हैं, वे सारे ही अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट गिने जाएंगे । उसमें बड़ी क्लियर व्याख्या है । जो 9 में रजिस्टर होंगे, वे रेग्युलेटेड होंगे और जो 9 से बाहर होंगे, वे अनरेग्युलेटेड होंगे । वह अलग बिल था । यह चिट फंड के लिए है, जो डिपॉजिट मेकिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और निर्धारित समय पर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देनी है, अलग-अलग इंटरवल पर देनी है । इस पर भी यह कहा गया, जो पहले डिविडेंड की बात आती थी कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसमें कुछ विरोध भी होता है कि डिविडेंड कहाँ से दोगे । उस पर भी इसको बदलाव करके नाम बदलने की बात कही गई । यह ज्यादा जागरूकता लाने के लिए सब कुछ किया गया है । जहाँ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट इल्लीगल है, वहीं पर चिट फंड लीगल है । आप रजिस्टर करवाते हो और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको परमीशन मिलती है, तब जाकर आप अपनी चिट को फ्लोट कर सकते हो । लोग उसके हिस्से बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं । इसमें यह भी कहा गया कि फोरमैन, क्योंकि 1981 के बाद तो बेचारे की उसकी कमीशन ही नहीं बढ़ पाई थी, तो स्थायी समिति ने भी, के.ए.जी. ने भी, दोनों ने ही कहा कि उसको बढ़ाना चाहिए, तभी इसको बढ़ाकर 7 परसेंट किया गया ताकि फोरमैन का कमीशन बढ़ सके । इसकी चर्चा में बहुत सारी बातें आईं ।

एक बात मैं कहूंगा कि यह अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको क्रेडिट भी और सेविंग, दोनों की व्यवस्था एक ही योजना में मिलती है । इसके अलावा, नाम बदलने की जो बात यहां कही गई कि नए नाम क्यों दिए गए, तो बहुत सारे भाषणों में, विशेष तौर पर, पश्चिम बंगाल के जो माननीय सांसद थे, उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि चिट और चीट, इन दोनों में बहुत अन्तर है, लेकिन कहीं न कहीं उस राज्य में कई जगहों पर ऐसा अन्तर देखने को नहीं मिलता । Chit और cheat, इन दोनों में बहुत अन्तर है । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उसी भावना के साथ इसे लाया गया था कि जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, वे बिल्कुल अलग हैं । वे डिपॉजिट बेस्ड हैं, घपले करने वाले काम हैं । चिट फण्ड एक लीगल सिस्टम है, जिसके माध्यम से इसे चलाया जा सकता है । इसलिए

चाहे फ्रैटरनिटी फण्ड की बात हो या आर.ओ.एस.सी.ए., इसे एक अल्टरनेट नाम देने की व्यवस्था खड़ी की गयी है, ताकि इसके माध्यम से आगे लाभ मिल सके ।

यह बात आई कि बहुत पहले यह कैप लगाई गई थी कि किसी व्यक्ति का एक लाख रुपये और किसी फर्म का तीन लाख रुपये तक या छ: लाख रुपये तक हो सके । यह पहले था । अब वर्ष 2001 की इंफ्लेशन रेट के हिसाब से इसे तीन गुणा बढ़ाया गया है । इंडीविडुअल्स के लिए इसकी लिमिट को तीन लाख रुपये और फर्म्स के लिए इसे अठारह लाख रुपये किया गया । एक सवाल आया कि बैंकिंग के क्षेत्र में कॉरपोरेट्स को लेंड करते हैं । वीरास्वामी जी ने कहा था और प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी है । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रति वर्ष प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में, एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर, लगातार वृद्धि हुई है । इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी किया गया, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सांसदों ने अभी कहा कि किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है । उस पर मैं आगे और आपको जानकारी भी दूंगा । आपने जीएसटी के एग्जेम्पशंस की बात कही । यह ऑपरेशनल मैटर है और जी.एस.टी. काउन्सिल में इस विषय पर विचार किया जा सकता है । मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है । आपने हाउसवाइव्स को अफेक्ट करने की बात कही । उसके बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि जो पहले 100 रुपये की कैप थी, यह सही बात है कि बहुत सारे सांसदों ने कहा कि आज के समय में 100 रुपये बहुत कम है । इसलिए हमने अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों के आधार पर उन राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने राज्य के अनुसार इसे तय कर सकते हैं । इसे तय करने में वहां की राज्य सरकार की भूमिका रहेगी । इससे छोटे-छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, उन्हें भी और जो महिलाएं हैं, हाउसवाइव्स हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा ।

जहां तक चिट फण्ड्स स्कैम की बात कही गयी, कई जगहों पर तो सुप्रीम-कोर्ट-मॉनीटर्ड कमेटीज काम कर रही हैं । मुझे लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न चिह्न खड़ा न करें । हाँ, उसमें तेजी आए । हम सब लोगों की

चिन्ता है कि लोगों के जो पैसे लगे हैं, उन्हें जल्द वापस किए जाएं । लेकिन, जब वह पैसा वापस दिलाने की बात आती है तो कई लोग ऐसे बड़े पदों पर बैठ कर भी उसमें एक रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि यह पैसा गरीबों से जुड़ा हुआ पैसा है । उस जांच में किसी को भी अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए । गरीब को उसके डूबे हुए पैसे जल्द से जल्द वापस मिलें, यह हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए । वह चाहे कोई भी क्यों न हों, आखिरकार उस गरीब की ईमानदारी की कमाई को छीनने का हक किसी के पास नहीं है । सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनीटर की गयी इस जांच में कोई भी रोड़ा न बने, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए ।

जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, यह इसलिए किया गया कि अगर आप व्यस्त हैं, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले शायद हम लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएगा या डेटा का इतना यूज होगा, लेकिन पिछले चार वर्षों में हमने भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति देखी है कि दुनिया भर में हमारे यहां सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन बढ़ने की शुरुआत हुई । दूसरी ओर से भारत सरकार ने भी अपनी ओर से प्रयास किया । नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के गांव-गांव को, पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया है । यह इतनी बड़ी बात है कि आने वाले एक वर्ष के अन्दर जहां हमारे देश की हर पंचायत और गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे । यह एक बहुत बड़ी सुविधा गांव-गांव तक होगी । यह डिजिटल इंडिया को ताकत भी देगा । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके चिट का परिणाम निकल जाएगा तो दो दिनों के अन्दर उन लोगों से, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है, उनसे उसके रजिस्टर पर साइन करवाना है । उसमें यह अनिवार्य किया गया है, ताकि इसमें कोई धांधली नहीं हो सके । इसका भी प्रावधान हमने इसमें करके दिया है ।

यहां इंश्योरेंस की बात आई, यह ऑपरेशनल मैटर है । अब आप कहिए कि किसी चिट में या चिट के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको लगे कि हम इंश्योरेंस

का पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हम बगैर इंश्योरेंस के ही ठीक हैं । अगर किसी को लगता है कि उसे इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उसे इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए । कोई भी आईआरडीए तक जा सकता है । अगर कोई रेगुलेटर या इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से अपनी चिट को इंश्योर करवाना चाहे, तो हमने उनके ऊपर इसको छोड़ा है । इसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कहीं न कहीं उन गरीब लोगों के ऊपर पड़ती । जहां तक सिक्योरिटी डिपॉजिट को कम करने की बात है, आपने कहा कि इसको 100 परसेंट से घटा कर 50 परसेंट कर दीजिए । मुझे लगता है कि यह अन्याय होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, उनकी पूरी सिक्योटी का हमने इसमें प्रावधान किया है । स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनैंस एंड एडवाइजर ग्रुप ने भी इसके बारे में कहा था । मुझे लगता है कि आप सब की भी सहमति होगी कि जो भी इसमें पैसा निवेश करें, उसका पैसा सुरक्षित हो, किसी का एक रुपया भी न डूबे, इसके लिए सदन को पूरी प्राथमिकता से निर्णय करना चाहिए ।

इसके अलावा, आरबीआई ने भी इस डिमांड को नहीं माना था और दूसरा, माननीय महताब जी ने भी कहा था । हमने चिट फंड्स को रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकारों के पास ही इसका अधिकार दिया है । रजिस्ट्रार को भी बहुत सारे अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिए हैं । Under Section 47 of the RBI Act, even RBI can inspect chit books and records of any chit fund. Apart from this, hon. Speaker Sir, under Section 73, RBI can advise any State Government on any policy, either on its own or if requested by the State Government. यह जो कहा गया था कि आरबीआई के पास कुछ अधिकार नहीं है । मुझे लगता है कि आरबीआई के पास इन नियमों के अंतर्गत अधिकार है । वहां पर वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं । Under Section 87, the State Government can exempt any chit fund from the Act but only with the consultation of the RBI. सुप्रिया जी कह रही थी कि आरबीआई के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के पास बहुत कुछ है ।

इसके अलावा, एक सवाल खड़ा किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए । It already exists. स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं । माननीय अध्यक्ष जी, चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करता है । वह राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है । इस कमेटी में सेबी, आरबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, सीबीआई, पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारी है । मुझे लगता है कि जो फ्रॉड से रिलेटेड या बाकी रेगुलेटर हैं, वे सभी इसमें शामिल हैं । राज्य में चीफ सेक्रेटरी है और जहां से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें उनका हिस्सा है । वहां हर तीन महीने में एक बार कमेटी मिलती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी के मन में कोई शंका रहनी चाहिए । इनके पास पर्याप्त शक्तियां भी हैं । इनके पास हर तीन महीने में मिलने का नियम भी बना हुआ है और उसमें न्याय दिलाने के लिए उचित लोग भी हैं । They talked about protection of interests of subscribers. इसके बारे में मैं अपनी तरफ से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । अभी महताब जी नहीं है । Chapter 5 of the Act provides detailed provision to safeguard interests of subscribers so that the subscribers who have won in any particular round continue to pay in the future rounds. Chapter 3 lays down the rights and duties of the foreman, including the provision of security to safeguard all subscribers. Chapter 4 has the provision of action against defaulting subscribers, such as their removal and substitution to safeguard the interests of other subscribers.

इसके अलावा, आरबीआई ने 'सचेत' नाम से एक पोर्टल लांच किया है, जिस पर इसकी जानकारी भी है । अगर आपको याद होगा, तो बैनिंग ऑफ अन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में हमने यह भी प्रावधान किया था कि इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से योजना चलाने वाले लोगों का एक डेटा बैंक बने और उनके पोर्टल पर वह उपलब्ध हो, ताकि देश भर में उसकी जानकारी मिल सके । उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया था और यहां भी सजा का प्रावधान है । सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है कि गरीब आदमी का पैसा लेकर कोई न भागे । अगर सदन को लगता है कि सजा होनी चाहिए, तो उसका प्रावधान इस कानून में किया गया है, ताकि भविष्य में उस बात का ध्यान रखा जा सके ।

अधीर रंजन जी ने कहा कि whether consumer grievances relating to chit funds can be considered by consumer forums. The consumer complaints are covered under the Consumer Protection Act. आपने दो-तीन हाई कोर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट्स का भी उदाहरण यहां पर दिया । It is decided by the judiciary as to whether any consumer grievance or complaint is covered under the Consumer Protection Act. इसलिए शायद कहीं न कहीं यह और यह एक केस में ही नहीं, बहुत सारों में दिक्कत आती है । आपका यह विषय उठाना बड़ा वाजिब है, मैं आपसे इसमें कुछ हद तक सहमत भी हूं । आपने कहा कि name of the foreman should be changed. इस पर बड़ी डिटेल में चर्चा कमेटी में भी हुई, उससे पहले जो एडवाजरी ग्रुप रखा गया, कुछ सांसदों ने और भी कहा, तो मुझे लगता है कि इसकी रिस्पांसिबिलिटीज भी, इसका नाम भी इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है । उसको लिअन करने तक के सारे प्रावधान किए गए हैं । यह इंडिविजुअल और कंपनी में कहीं पर भी हो सकता है । मुझे लगता है कि इसकी डेफिनिशन बहुत क्लियर है और अब इसके ऊपर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

अमर सिंह जी ने कहा कि people should get access to formal financial system and insurance. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं । कहीं न कहीं जब हम सब लोग यह बात उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पिछले कुछ वर्षों पर भी नजर उठाकर देखना चाहिए कि हम कहां पर थे, कहां पहुंच पाए हैं । आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारे बैंक खाते नहीं थे । बहुत सारे मीन्स, 37 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते नहीं थे । मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर पढ़कर बताना चाहता हूं । प्रधान मंत्री जन-धन योजना में 37 करोड़ 30 लाख बैंक खाते 16 अक्टूबर, 2019 तक खुले । आप कल्पना कीजिए कि जिन गरीबों के पिछले 70 वर्षों में खाते नहीं खुले थे, 15 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, बैंक का खाता खोलेंगे । हमने जब कहा, तो बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि कौन पैसा जमा कराएगा, जीरो फ्रिल अकाउंट में कौन खाता खुलवायेगा? माननीय अध्यक्ष जी, केवल खाते नहीं खुले हैं, इनमें 1,05,523

करोड़ रुपये देश के गरीबों ने जमा करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है ।

प्लास्टिक कार्ड्स या प्लास्टिक मनी की बात कही गई । मैं कहूंगा कि दुनिया कॉइन से प्लास्टिक कार्ड पर या प्लास्टिक करेंसी पर गई । India has moved first from coin to paper currency and from paper currency to digital payments and we should be proud of the fact that under UPI platform, last month, we had more than one billion transactions; I repeat one billion transactions. यूपीआई कुछ वर्ष पहले हमने शुरू किया । 1 बिलियन ट्रांजैक्शन्स उसमें हो जाएं, यह बहुत बड़ी बात है । देश के गरीब ने, आम नागरिक ने और गांव में रहने वाले, सभी ने उसको माना है । रुपे डेबिट कार्ड शुरू किया गया । गरीब एटीएम तक जाने की कहां सोचता था? हमने उनको ताकत दी है । लगभग 28 करोड़ लोगों के पास रुपे डेबिट कार्ड देश के अंदर भी हैं और अब तो सिंगापुर, यूएई और बाकी देशों में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी जो मुहिम चलाई गई है, मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी को उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं । आप मास्टर कार्ड, वीजा या एसबीआई कार्ड की वैल्युएशन देख लीजिए, कहां पर है । आज उनकी वैल्युएशन जहां पर है, कल को अगर रुपे डेबिट कार्ड की वैल्युएशन मार्केट में की जाए, तो मुझे लगता है कि अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफार्म बन जाएगा कि हजारों करोड़ रुपये की वैल्युएशन हमारे रुपे डेबिट कार्ड की हो सकती है । हमने फाइनेन्शियल इन्कलूजन के स्तर पर प्रयास किए हैं । मैं आपसे सहमत हूं कि इसमें जितने सुधार की जरूरत होगी, उसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे । सुप्रिया जी ने कहा कि बैंक में एनपीए बहुत बढ़ गया है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का आर्टिकल पढ़िए, बिल पढ़ कर नहीं आईं, लेकिन डॉक्टर साहब के आर्टिकल पर सब कुछ

बोला । मुझे कुछ न कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा । मैं बिना नाम लिए बोल देता हूं क्योंकि बिल पर कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था पर था । मुझे सिर्फ इतना ही कहना है । एनपीए किसके दिए हुए हैं । ...(व्यवधान) वे वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनका नाम लेकर बोला जाए । जब हमारी सरकार आई, मैं उस समय पार्लियामेंटरी स्टैन्डिंग कमेटी का सदस्य था । उस समय रघुराम राजन जी ने आकर कहा था कि यह एनपीए का लोन उस समय का है जब यूपीए सरकार थी । ये लोन उसी समय दिए गए और बाद में एनपीए हुए । उस समय इसे कारपेट के नीचे दबाया गया था । हमने कुछ भी नहीं छिपाया, हमने देश को बताया कि एक्चुअल में एनपीए है और वह देश की जनता के सामने आया । हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू कराने का प्रयास किया । हम लोग फोर-आर स्ट्रेटजी पॉलिसी लेकर आए, जिसमें रिकग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफार्म्स है । हमने इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया । हमने कुछ छिपाया नहीं । जो दस पीएसबी थे, अब उनकी चार एंटिटी रह जाएगी । हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सकें । वे पीसीएफ फ्रेमवर्क से बाहर आए तो हमारी सरकार के कारण आए । हमने उनको रिकैपिटलाइजेशन करने काम किया, उसमें लाखों-करोड़ रुपये हमारी सरकार ने डाले हैं । उस समय कहा गया कि आपने इन्सोलवेंसी और बैंकरप्सी कोड लाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया । इससे क्या हो गया? हमने बड़ा तीर मारा है । हममें हिम्मत थी तो हम कानून भी लेकर आए और उस कानून के डर और प्रावधान से लगभग चार करोड़ चौरासी लाख रुपये इस देश में वापस आया है, उसके माध्यम या उसके डर या उसके प्रावधानों से आया है । उससे डेटर-क्रेडिटर रिलेशनशिप बेहतर हुई है । कुछ एनसीएलटी आने से पहले सोल्व हो गई और कुछ एनसीएलटी आने के बाद हुए । भूषण स्टील अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है । शायद पहले चार-पांच वर्ष लगते और पैसा वापस नहीं आ पाता । इस काननू बनने के बाद वह समय आधा से भी कम रह गए और हजारों करोड़ रुपये वापस आने शुरू हुए हैं । हमने कानून बनाया और उसे लागू किया । फिज्यूटिव इकोनॉमिक आफेंडर्स बिल की बात आई, आपने पैसा दिया और वे भाग गए । उन्हें वापस लाने के लिए हमने कानून बनाया और विदेशों में रहने वाले को जेल भी कराई और कई लोगों

को वापस लाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की है । हमने किया है इसीलिए बोलते हैं । जहां तक फाइनेन्शियल लिटरेसी की बात कही गई, इस देश में फाइनेन्शियल लिटरेसी पर कोई काम ही नहीं हुआ, यह कहा गया ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कम से कम पांच मिनट लेना चाहूंगा । यहां 1483 फाइनेन्शियल लिटरेसी सेंटर्स हैं । यह आंकड़ा 31 मार्च, 2019 तक का है । अप्रैल, 2018 से लेकर मार्च, 2019 तक इन फाइनेन्शियल लिटरेसी के 52,084 स्पेशल कैम्प लगाए जिसमें 93,343 स्पेसिफिक कैम्प लगाए गए । रूरल ब्रांच में 3,05,672 कैम्प लगाए गए और पिछले साल 2,64,120 कैम्प लगाए गए । इसके अलावा अलग से फाइनेन्शियल इनक्लूजन फंड बनाया गया है । हमने फाइनेन्शियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैम्प भी शुरू किए । हमने आरआरबी और आरसीबी को फंडिंग सपोर्ट दी है, वह छह हजार रुपये प्रति कैम्प देते हैं । 330 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्टस में पांच हजार कैम्प लगाए हैं । स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट में डेमो वैन के लिए भी देते हैं । इससे और जानकारी मिल सके, फाइनेंशियल लिट्रेसी स्पेशल फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हो सके । इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड स्कीम 7 सितंबर, 2016 को बनाई गई थी । इसका काम एडमिनिस्टर, एजुकेशन और प्रोटेक्शन करना और जानकारी देना था । आईईपीएफ ने एमओयू कॉमन सर्विस सैंटर्स, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ से किया है, जो मिनिस्ट्री आफ इलैक्ट्रॉनिक्स इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है । इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि भविष्य में और सेंसटाइजेशन हो और जानकारियां मिलें । वर्ष 2018-19 में 27,639 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए गए । सीएसई ई-गवर्नेंस मैकेनिज्म प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स से करवाया गया । इस वर्ष और आने वाले वर्षों में हम 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सीएसई के थ्रू प्रोग्राम किए जाएंगे ।

नेहरू युवा केन्द्र, जो केवल एक संस्था है, जिसमें बहुत कम कार्य किए जाते हैं, हमने उसे इसमें जोड़ने का काम किया है । हम इसे कस्टमाइज्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कंडक्ट करेंगे । इसमें आफिशियल्स और वालेंटियर्स को जानकारी देंगे ताकि लाखों लोगों को वे जानकारी दे सकें ।

हम इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिट्रेसी प्रोग्राम ग्रामीण भारत में एडवांस स्टेज पर चलाने की बात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से कर रहे हैं । पोस्ट बैंक ने देश भर में लगभग 650 ब्रांचेज़ माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर खोली हैं । इसके माध्यम से 3219 प्रोग्राम्स किए जाएंगे । 20,000 गांवों को इसके साथ जोड़ा जाएगा और 3 लाख 21 हजार 9 सौ भारत के नागरिकों को इसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी । इतने कार्यक्रम फाइनेंशियल लिट्रेसी के माध्यम से शुरू किए गए हैं । इसके अलावा भी लंबी सूची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे चलूं । मैंने आईबीसी और एपेक्स कोर्ट की बात कही है, जनधन योजना का विषय भी रखा है । यह भी कहा गया कि कलैक्शन कम हुई क्योंकि लोग पैसा नहीं दे रहे हैं । डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन वर्ष 2013-14 में 6 लाख 39 हजार करोड़ था जो पिछले साल बढ़ गया, इसमें डिमोनेटाइजेशन एक बड़ा कारण है । हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था ।

प्रो. सौगत राय : यह तो बजट के रिप्लाई की तरह हो रहा है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): You raised the issue. That is why he is replying.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें किसी पर भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं, हम सहमति से इस बिल को पास कर सकते हैं । लेकिन किसी माननीय सदस्य ने विषय उठाया है, मैं जितनी जानकारी दे सकता हूं, उतनी देने का प्रयास कर रहा हूं । हम में दम था, हमने डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया, इसलिए 6 लाख 35 हजार करोड़ से बढ़कर 11 लाख 38 हजार करोड़ रुपये की कलैक्शन हुई है, लगभग दुगनी कलैक्शन हुई । इनकम टैक्स देने वाले भी लगभग दुगने हुए । माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने देखा कि अनरैगुलेटेड

डिपोजिट, पोंजी स्कीम्स को चिट फंड के साथ मिश्रण किया गया था । किसी ने 'नासमझ' शब्द का प्रयोग किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जानकारी के अभाव में ऐसा कई बार होता था, मुझ से भी होता था, सबसे होता है । मैं शायद इस विभाग का मंत्री हूं तो मेरे पास ज्यादा जानकारी है, जानकारी सब तक पहुंचे, देश तक पहुंचे । हम देश को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाना चाहते हैं और वर्ष 2025 तक बनाकर छोड़ेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं ।

अर्थव्यस्था पर अधिकतर सवाल थे, मैं उस पर नोट बनाकर लाया हूं । अगर आप कहते तो मैं एक-एक करके सब पर कार्रवाई कर सकता हूं । एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू को उठाया गया है । पर्ल कंपनी की बात भी कही गई । जहां पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी होगी, एक कंपनी चाहे एक राज्य में है, दूसरे में है या तीसरे में है, मुझे लगता है कि यह समय-सीमा तो उनको भी तय करनी चाहिए । अगर सदन को लगता है कि निर्धारित समय के अंतर्गत है तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट पर थोप नहीं सकता । लेकिन, जो कमेटीज बनती हैं, हमने कई वर्षों तक देखा है कि कोई एक वर्ष के लिए बनती है और दस वर्ष तक वह अपना काम करती रहती है । निर्धारित समय के अंदर उस पर काम हो, गरीबों को पैसा मिले, मैं आप सबकी इस भावना को समझता हूं । इस सदन के माध्यम से वह भावना मीडिया भी जन-जन तक पहुंचा सकती है, जहां तक पहुंचे । लेकिन हमारी सरकार कानून में जो भी बदलाव करना होगा, वह करेगी, आप सबके सहयोग से करेगी, ताकि भविष्य में किसी गरीब का पैसा न लुटे । फाइनेंशिएल लिट्रेसी प्रोग्राम्स भी होंगे । कानून की पूरी ताकत भी उनको दी जाएगी और जानकारी भी जन-जन तक पहुंचे ऐसा प्रावधान किया जाएगा । मेरा आप सब से भी अनुरोध है कि आप भी जब कोई कार्यक्रम करें तो वहां पर लोगों में जानकारी अवश्य पहुंचाएं कि पोंजी स्कीम में और लीगल चिट फंड में क्या अंतर है । यह जो रेगुलेटेड डिपॉजिट हैं, जो 9 संस्थाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, वे जेनुइन कैसे हैं, लीगल कैसे हैं और इल्लीगल क्या है, इसको यदि आप भी जन-जन तक पहुंचाएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा । आप सोशल मीडिया व मीडिया पर जनता को बताएं । मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि भविष्य में जब ये फाइनेंशिएल लिट्रेसी प्रोग्राम किए जाएं तो जहां संभव हो

सके वहां पर सांसदों को भी बुलाना चाहिए ताकि सांसदों की भागीदारी भी वहां पर हो और जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंच सके । मैं किसी राज्य के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा । मुझे कोई जितना मर्जी कहे कि किसी एक राज्य के बारे में कहें, किसी एक स्कीम के बारे में कहें, आज मैं देश के गरीबों के हित के लिए यहां पर खड़ा हूं । मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा । हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब के हित के संरक्षण के लिए है और यह बिल भी उसी के लिए लाया गया है । इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हम गरीब के हित के लिए इस बिल को पास करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो । आप सड़क पर जाकर जो करना है करिए, लेकिन सदन ने हमें कानून बनाने की क्षमता या ताकत दी है । हम यहां पर कानून बनाएंगे क्योंकि बाकी दलों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर यहां पर अपने सुझाव दिए हैं, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं । क्योंकि इन्होंने राजनीति से उठकर इस बिल का समर्थन किया है ।

प्रो. सौगत राय :मंत्री जी ने इतना अच्छा जवाब दिया है, इनको कम्प्लीमेंट दे दीजिए ।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, the Minister has given an excellent reply. I thank him for that. But I am very sad that the issue of GST has neither been confirmed nor denied. He has said that it has to be discussed. …(*Interruptions*) Let me finish my question. It is only a small suggestion. You were saying that the insurance part of it has to be borne by the individuals. When you are collecting GST, why should the Central Government not look into this? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह जीएसटी का विषय नहीं है, चिट फंड का विषय है ।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : Why should the Central Government not insure all these registered chit funds? If there is any

default by anybody, then the insurance will be there. It is paid by the Central Government through the GST which it has collected.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Mr. Speaker, Sir, I think when I started my reply, I particularly mentioned the hon. Member's name and replied accordingly that this issue relates not to the Bill but it is concerned with the GST Council. It will be looked them.

Apart from that, about the insurance, we said the size may vary from one chit to another chit. So, let us leave it to the subscriber whether they want it to get it insured or not insured because the cost has to be borne by the subscriber and the chit fund.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

-

-

-

-

-

Clause 4 **Substitution of New Section for Section 11**

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन , क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have raised a very serious apprehension, at the time of my intervention, that how this will affect the poor marginalised sections of the society because Self-Help Groups, Kudumbashree Groups and Samata Groups are all having these Fraternity Funds as well as Rotating Savings and Credit Institution. You are incorporating two words, that is, 'Fraternity Fund' and 'Rotating Savings and Credit Institution'. This will come within the purview of the definition of section 2, clause (b). When this is being incorporated, what would be the impact as far as the poor people who are doing some rural works are concerned? It is because if one group having 10 persons is contributing Rs.30,000, it will be Rs.3 lakh and they are doing credit and saving. Everything is there in the scheme.

What would be its impact? That is why, I have given a notice of amendment to remove Fraternity Fund, '*kuri'* as well as Rotating Savings and Credit Institution. They have to be omitted from the definition of section 2, clause (b). No clarification has been given by the hon. Minister. Hence, I am moving the amendment.

I am moving Amendment No. 1 to Clause 4.

I beg to move:

Page 2, lines 24 and 25,--

omit ', "kuri", "fraternity fund" or "Rotating Savings and Credit Institution" " . (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

-

माननीय अध्यक्ष :श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I am moving Amendment No.2 to Clause 4.

I beg to move:

Page 2, line 36,--

for "one year"

substitute "six months". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

-

प्रो. सौगत राय : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो संशोधन दिया है और जो प्रेमचन्द्रन जी ने दिया है, वह एक ही है । मेरी बात सुनिये ।

माननीय अध्यक्ष : आपको 6 और 7 पर बोलना है ।

प्रो. सौगत राय: सर, मेरा संशोधन यह है कि इसे ओमिट किया जाए क्योंकि केवल as it is बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है । चिट फंड क्या है, पौंजी स्कीम क्या है, …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप यह बताएं ।

प्रो. सौगत राय: मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेमचन्द्रन जी ने भी यह सवाल उठाया है । लेकिन मंत्री ने अच्छा जवाब दिया है, इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 Amendment of Section 13

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K.PREMACHANDRAN : I am moving Amendment No. 3 to Clause 5.

I beg to move:

Page 2, lines 43 and 44,--

for "rupees three lakhs"

substitute "rupees two lakhs". (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, my amendment is, Page 2, line 32, *for* "one year" *substitute* "six months". It is a minor amendment. अभी जो बोला है कि एक साल के अंदर उसको भर्ती करना चाहिए । हमारा यह कहना है कि 6 महीने के अंदर करिए । But I am not moving my amendment.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am moving Amendment No.14 to Clause 5. I beg to move:

Page 2, lines 38 and 39,--

for "rupees three lakhs"

substitute "rupees four lakhs". (14)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के.सुरेश द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

-

Clause 6 Amendment of Section 16

माननीय अध्यक्ष : क्याप्रो. सौगत राय जी, में संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय : सर, यहां पर बोला गया कि चिट फंड की मीटिंग में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोई हाजिर हो सकता है । मैं वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के खिलाफ हूं ।...(व्यवधान)

सर, अमेंडमेंट मूव करने दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष : दादा, अमेंडमेंट मूव होता है या मूव नहीं होता है ।

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am moving my amendment No.10 to Clause 6 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 2, --

o*mit* 'or through video conferencing duly recorded by the foreman'.

(10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत रायद्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

-

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आपकी इजाजत हो तो इस बिल के पारित होने के आधा घंटे बाद तक, 6.30 बजे तक सदन का समय बढ़ा दें ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

माननीय अध्यक्ष : बिल पास भी होगा और शून्य काल भी चलेगा ।

सदन का समय 6.30 बजे तक बढ़ाया जाता है ।

-

Clause 7 Amendment of Section 17

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत रायजी, क्या आप संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I am moving my amendment Nos. 11 to 13 to clause 7 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 6, --

omit 'or through video conferencing'. (11)

Page 3, line 9, --

omit "through video conferencing". (12)

Page 3, lines 10 and 11, --

for "within a period of two days of the date of the draw"

substitute "on the same day". (13)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत रायद्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11, 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

-

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्नील सुरेशजी, क्या आप संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am moving my amendment Nos. 15 and 16 to clause 7 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, *omit* lines 5 and 6. (15)

Page 3, line 9, --

for "through video conferencing"

substitute "in person". (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 Amendment of Section 21

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving my amendment No.4 to clause 8 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 13, --

for "seven per cent."

substitute "six per cent.". (4)

Sir, regarding the submission on the foreman, the ceiling amount of the chit fund is being enhanced. As the ceiling limit will enhance, automatically the foreman's commission will also increase. Why is five per cent being increased to seven percent? It is the subscribers who will have to suffer. So, I am making an amendment for just a marginal increase from five per cent to six per cent. This is my amendment. It may kindly be accepted.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्नील सुरेशजी, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am moving my amendment No. 17 to clause 8 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 13, --

for "seven per cent."

substitute "eight per cent". (17)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।"

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:-

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।